Press and Registration of Periodicals Bill-As Passed by Rajya Sabha

माननीय सभापति **:** आईटम नम्बर, 24, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023, माननीय मंत्री जी ।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री **(**श्री अनुराग सिंह ठाकुर**):** मैं प्रस्ताव करता हूं :

?कि प्रेस, नियतकालिक पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।?

सभापति महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में पुराना संसद भवन हो या नया संसद भवन हो, इनमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल कर नए भारत के लिए नए कानून बनाने के जो शानदार काम हुए हैं, मैं सबसे पहले उनके लिए प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं सभी माननीय सांसदों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं । हमने पिछले दो दिनों में भी देखा है कि कैसे अंग्रेजों के समय के बिल को, उससे मुक्ति दिलाने का काम, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भी मिली और नए भारत के लिए नए कानून भी मिले । इस सदन ने सर्वसम्मति से उन बिल्स को पास भी किया । चाहे वह भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या टेलीकॉम्युनिकेशन बिल हो, ऐसे अन्य बिल्स, जो अब अगले कई सैंकड़ों वर्षों के लिए भारत के काम आएंगे । उसी दिशा में मैं भी आज सभी के सामने प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 को लेकर आया हूं । यह बिल भी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल कर नए भारत के लिए एक नया कानून लाने का कार्य हमने किया है ।

माननीय सभापति जी, अगर आप देखें कि यह बिल कितना पुराना है? यह बिल वर्ष 1867 का है । उस समय, 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं न कहीं अपने हाथ में रखें । यहां तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने-आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी । प्रिंटिंग प्रेस लगाना, पब्लिशर बनना, अपने-आप में यह एक बहुत बड़ी बात थी । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक बहुत बड़ा रोल होता था । यह पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था । इसको आठ चरण में किया जाता था । पहले आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लिकेशन लगाइए । वहां पर कई महीने लगते थे, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर ऑफ इंडिया के पास दिल्ली लेकर आइए । फिर, उसके चक्कर काटिए और फिर वापस लेकर जाइए, जब तक आपको नाम मिलता था । लगभग आठ स्टेप्स थे । आज मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है कि अब दो-तीन साल नहीं लगेंगे, बल्कि केवल दो महीने के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी । यह सिम्पल भी है, स्मार्ट भी है और साइमलटेनियस भी है । मैं इसको विस्तार से बाद में बताऊंगा ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर पहले डीएम के पास करना पड़ता था और रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स के पास बाद में करना पड़ता था, अब वह नहीं है । अब डीएम के पास भी और आरएनआई पास भी एक ही समय पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं । आप एप्लिकेशन लगा सकते हैं । अगर डीएम 60 दिन में जवाब नहीं भी

देता है, तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे । 60 दिन के बाद आरएनआई ही आपको अनुमति दे देगी । यह बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है । मैं शुरू में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमने राज्यों से भी कंसल्ट किया, अलग-अलग संस्थाओं से भी कंसल्ट किया और उसके बाद हम आपके बीच में यह बिल लेकर आए हैं ।

मैं इसमें एक-दो बातों पर जरूर प्रकाश डालना चाहता हूं । ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में दिया है । हजारों पुराने कानूनों को या ऐसे कानून, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उनसे भी मुक्ति दिलाने का काम हमने किया है ।

सभापति जी, मैं इसके लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । अर्जुन मेघवाल जी, चूंकि आप लॉ मिनिस्टर हैं और अधिकतर कानूनों में क्रिमिनेलिटी खत्म हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग मिले, यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है ।

13.46 hrs

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

मैं इस सभा में कहना चाहता हूं कि हमने इसमें भी प्रावधान किए हैं, जहां बाकी जितने क्रिमिनलाइजेशन वाले ऐसे प्रावधान थे, हमने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है । केवल एक ही ऐसा प्रावधान है, जहां पर अगर आपने प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने की पब्लिशर से अनुमति न ली हो, उसमें भी आपको 6 महीने का प्रावधान दिया है कि आप उसको बंद कर दे या अनुमति ले, न करे, तब जाकर आपको सजा होगी, अन्यथा सब को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है । इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इससे बल दिया गया है । इसमें ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, जिनको मैं डिटेल में कह सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब मैं सभी माननीय सदस्यों की बात सुनूं तो उसके बाद ही अंत में अपनी बात रखूं ।

मैं सभा के सामने आज इस बिल को, अच्छी चर्चा और सर्वसम्मति से पास करने के लिए, रखता हूं । मैं चाहता हूं कि सकारात्मक चर्चा हो और सर्वसम्मति से इसको पास किया जाएगा ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि प्रेस, नियतकालिक पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।?

डॉ**.** निशिकांत दुबे **(**गोड्डा**):** सभापति महोदया, यह जो विंटर सेशन है, जो कि अब समाप्ति की ओर है, यह बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 में देश के सामने जो अपना एजेंडा रखा था, गवर्नमेंट का एजेंडा रखा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही थी, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद, वर्ष 1947 के बाद पैदा होने वाले वे देश के पहले प्रधान मंत्री हैं । इसके पहले जितने भी प्रधान मंत्री हुए, जब भारत गुलाम था, उस वक्त वे पैदा हुए । माननीय मोदी जी ही ऐसे प्रधान मंत्री हुए या हैं, जो कि आज़ादी के बाद पैदा हुए । उन्होंने अंग्रेजों को नहीं देखा, अंग्रेजियत को नहीं देखा, गुलामी को नहीं देखा और इसलिए उनके दिमाग में हमेशा रहा कि गुलामी के जितने भी प्रतीक चिह्न हैं, वे सब इस देश से मिटने चाहिए, क्योंकि हम एक सार्वभौमिक राष्ट्र

है । उन्होंने अपोजिशन को बहुत मौका दिए, लेकिन अपोजिशन की हमेशा एक आदत रही है कि भारत में फूट डालो राज करो, अंग्रेज की मानसिकता, ब्रिटिश की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता खत्म करने की जब-जब बात आती है या इस देश की समस्या का समाधान करने की बात आती है तो वे हमेशा भागने की कोशिश करते हैं । वर्ष 1952 से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ का जो एजेंडा रहा, वे सारे एजेंडे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे करें । चुनाव का समय है । मैं आपको उदाहरण के साथ दे सकता हूं कि कौन-कौन से एजेंडे हमने लागू किए और कहां अपोजिशन अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी परेशानी छिपाने के लिए उसने हम लोगों का विरोध किया तथा विरोध का स्तर बहुत निम्नतम रखा ।

अनुच्छेद 370 की बात होती रही । पिछले 75-77 सालों से हम चाइना और पाकिस्तान से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं । हमारे भू-भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, लेकिन केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण, मुस्लिम एपीज़मेंट की पॉलिटिक्स के कारण जब अनुच्छेद 370 की बात आने लगी, तो आपको पता है कि इस पार्लियामेंट में तो उन्होंने विरोध किया ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में विरोध किया । राम जन्मभूमि का सवाल हो, राम मन्दिर बनाने का सवाल हो, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के जो सांसद साथी हैं, उन्होंने वहाँ जाकर विरोध किया । उसी तरह से, चाहे शिड्यूल कास्ट्स या शिड्यूल ट्राइब्स को अधिकार देने का सवाल हो, ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का सवाल हो, इन सारी चीजों में अपोजिशन ने हमारा विरोध किया ।

इस सेशन में जो कुछ भी हुआ, यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने जहाँ से अपनी बात शुरू की कि वह कौन-सा मामला था? 130 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल है, चाहे इस पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, कोई ऐसा आदमी या कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, जिसको जिन्दगी में कभी न कभी पुलिस थाने का चक्कर न लगाना पड़ा हो, अदालत का चक्कर नहीं लगाना पड़ा हो । कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा कि अंग्रेजों की जो मानसिकता थी कि किस तरह से अपने राज-काज को यहाँ कायम रखो, किस तरह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ माहौल न बने और व्यक्ति जहाँ नगण्य था, उस कानून को खत्म करने का काम हमारी सरकार कर रही थी, इस कारण से अपोजिशन ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया, जो मुद्दा है ही नहीं ।

इस पार्लियामेंट में हमने नियम-कानून नहीं बनाया है । जब संविधान निर्माताओं ने कानून बनाया, तो उन्होंने कुछ बातें कही । उन्होंने यह कहा कि इस पार्लियामेंट में एक चीज पर चर्चा नहीं हो सकती है, चेयर के ऊपर या चेयर के किसी काम के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है । यह नियम उन्होंने बनाया, रूल्स-रेगुलेशंस उन्होंने बनाए । कांस्टिट्यूशन को कांस्टिट्यूशन बनाने वालों ने बनाया, हमारे फोरफादर्स ने बनाया । इस पार्लियामेंट में ऐसा पहली बार हुआ कि स्पीकर के ऊपर ही क्वेश्चन किया गया और स्पीकर के माध्यम से सरकार को एक पार्टी बनाया गया । इस पार्लियामेंट की सुरक्षा, हालांकि मैंने कल भी इस बात को कहा था और आज भी इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि संसद की सुरक्षा का अधिकार केवल और केवल लोक सभा सचिवालय का है, लोक सभा अध्यक्ष का अधिकार है । मैंने कल भी कहा कि इस घटना के पहले 27 बार इस तरह की घटनाएं हुईं । वर्ष 1954-56 से लेकर, जब कांग्रेस की सरकार ने तिब्बत को दे दिया, तब भी इस दर्शक दीर्घा से लोग कूदे और उन्होंने कहा कि तिब्बत के साथ समझौता करने वाले आप कौन होते हैं । यदि भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार और रूस के साथ ट्राई-पार्टी एग्रीमेंट हो गया कि भूटान, नेपाल और तिब्बत एक बफ़र स्टेट बनेंगे, तो आप किस आधार पर तिब्बत को चाइना का भाग कह सकते हैं । वहाँ से कूदे थे, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई । वर्ष 1994 में कूदे, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उनका हाथ पकड़ लिया, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई, वर्ष 1991 में कूदे,

कोई चर्चा नहीं हुई, वर्ष 1966 में कूदे, कोई चर्चा नहीं हुई, वर्ष 1974 में कूदे । चूंकि यह इतना बड़ा बिल था, जिससे आम गरीब लोगों को न्याय मिलेगा और सही समय पर न्याय मिलेगा । जिस न्याय के लिए लोग 50 साल, सौ साल तक भटक रहे हैं, वह भटकाव अब खत्म होने वाला है । इनको पता है कि जब माननीय मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और लोगों को 50 साल और सौ साल तक न्याय के लिए भटकना पड़ता था, वह छ: महीने, साल भर और डेढ़ साल में मिलना शुरू हो जाएगा । इससे इनको लगता है कि इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी । इसीलिए यह बिल पास न हो, इसके लिए ?इंडी? गठबंधन ने इतना ताना-बाना बनाया है ।

आज का जो बिल है, कल के बिल से हमने वर्ष 1860 के बिल को रिपील किया । कल दो बिल्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे । एक वर्ष 1860 का था और दूसरा टेलीग्राफ एक्ट, 1885 का हमने संशोधन किया ।

आज जो बिल लेकर आये हैं, वह 1867 का बना हुआ है । संविधान निर्माताओं ने, 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ, हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, आजकल ?इंडी? एलायंस है, उसने किस तरह से कांस्टिट्यूशनल पोस्ट की तौहीन की, यह पूरा देश देख रहा है । हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि इसी पार्लियामेंट में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हो रही है । महामहिम राष्ट्रपति महोदया के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है । हमारे प्रधानमंत्री जी को तो 20 साल से मौत का सौदागर से लेकर पता नहीं क्या-क्या कहा गया ।

इन्होंने कांस्ट्यिूशनल पोस्ट की भी मिमिक्री कर दी और ये हमेशा यह कहते हैं कि प्रेस की आजादी होनी चाहिए । ये हमेशा कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया? आज हम यह बिल लेकर आए हैं । वर्ष 1867 का जो बिल है, वह देखने में सोचना है, लेकिन आप समझिए कि इसका रिपरकशन कितना है, इसका प्रभाव कितना है । वर्ष 1867 में बिल लेकर इसलिए आए, क्योंकि आजादी का आंदोलन अपने पूरे शबाब पर था । जो पढ़े-लिखे लोग थे, वे लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि उस वक्त रेडियो नहीं था, उस वक्त टेलिविजन नहीं था । उस वक्त आने-जाने के साधन नहीं थे, रेल नहीं थी, हवाई-जहाज नहीं थे, लोगों के पास गाड़ियां नहीं थीं । इस कारण से लोग जगह-जगह पर अपने टाइपराइटर से साइक्लोस्टाइल करके कोई भी चीज छापते थे, बताते थे, जनता तक उन्हें ले जाने का यह रास्ता था । इससे अंग्रेजों को समझ में आ गया कि यदि इस तरह का न्यूजपेपर या एक पेज का पैमफ्लेट या कोई और चीज छपने लगेगी और लोगों तक चली जाएगी, तो हम बहुत दिनों तक भारत के आदमी को सप्रेस नहीं कर पाएंगे ।

इस कारण एक एक्ट वे लाए, जिसमें सबसे बड़ा विषय यह था कि यदि आप इस तरह की एक्टिविटी करोगे, बिना किसी रजिस्ट्रेशन, बिना किसी कानूनी मंजूरी के यह काम करोगे, तो हम आपको जेल भेज देंगे । आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप प्रेस-फ्रीडम की बात करते हैं, आप लोगों को बोलने का अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन आपने 58 सालों के शासन में क्या कभी यह सोचा कि इस तरह का जो एक्ट है, इससे कितने लोग आज तक जेल गए हैं ।

मैंने एक डेटा देखा था । माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब मुझे सुधारेंगे । वर्ष 1867 से लेकर आज तक, जो मेरी जानकारी है, इस एक्ट के तहत लगभग पांच लाख लोगों को हमने जेल भेजा । कई ऐसे लोग हैं, जिनको आजीवन कारावास की भी सजा हुई । इस तरह का माहौल था । इस कारण से माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ा फैसला किया कि यदि भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों को अधिकार देना है, तो हमको इस एक्ट को रिपील करना है । मैं इसके लिए माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का शुक्रगुज़ार हूं, जो इस तरह का एक्ट लेकर आए हैं ।

सभापति महोदया, इस एक्ट में तीन-चार चीजें हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना भी चाहता हूं कि हम सभी सांसद हैं । आजकल सोशल मीडिया का बड़ा असर हो गया है, बहुत से यू-ट्यूब चैनल्स आ गए हैं । किसी तरह से ब्लॉग की दलाली करते-करते कई लोग इस तरह की एक्टिविटी में लिप्त हो जाते हैं कि वे आज भी बिना किसी से परमीशन लिए हुए अपना न्यूजपेपर चालू कर देते हैं । अभी चुनाव का समय है, हम सभी सांसद चुनाव में जाने वाले हैं । यू-ट्यूब चैनल तो चल ही रहे हैं, उनके अलावा इस तरह के कई न्यूज-चैनल्स भी चालू हो जाते हैं ।

जहां तक न्यूजपेपर का विषय है, उन्होंने Press Registrar General of India की स्थापना की बात की है, ऑनलाइन की बात है, सर्कुलेशन की बात की है कि डीएम भी सर्कुलेशन की बात करेगा और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को आपको ऑनलाइन बताना पड़ेगा कि कहां प्रिंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के बारे में अभी तक नहीं पता था । आपको बताना पड़ेगा कि कितना प्रिंट कर रहे हैं । लेकिन जो दो-तीन चीजें हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं । एडवर्टीजमेंट्स लेने के लिए सारे न्यूजपेपर्स कहीं न कहीं अपने सर्कुलेशन को बढ़ाने की बात करते हैं । श्री भर्तृहरि महताब जी यहां बैठे हुए हैं । उनके यहां ओड़िया का सबसे पुराना अखबार ?गणतंत्र? है कि यदि जो ईमानदारी से काम करेगा, उसकी क्या स्थिति होगी?

उसके लिए आपने Press Registrar General of India के माध्यम से जो यह सिस्टम बनाया है, मुझे लगता है कि उसमें कड़ाई करने की आवश्यकता है । अभी चुनाव का समय है । ये सारे सांसद इनको भोगेंगे कि छोटे-छोटे न्यूजपेपर्स चुनाव के समय ही कुकुरमुत्ते की तरह उग आते हैं । उनको रोकने के लिए आप क्या प्रावधान करेंगे?

डीएम के पास बहुत काम हैं । चूंकि अंग्रेजों के समय से ही यह सिस्टम चला आ रहा है कि डीएम इन चीजों का अधिकारी होता है । अभी हमने कानून में कई संशोधन किए हैं । माननीय गृह मंत्री जी ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट में संशोधन किए । उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि प्रत्येक जिले में Director of Prosecution की अलग पोस्ट क्रिएट की । वह अलग से तय करेगा कि इस केस को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है? इस केस को अपील में जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि न्याय जल्दी मिलना है ।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि डीएम के पास बहुत काम है । उस डीएम के अलावा, क्योंकि सभी जगह आपका पीआईबी मौजूद है, आजकल आप जिस तरह से सिस्टम लाये हैं, जो पहले चलता था कि दो साल, तीन साल, चार साल तक हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, 60 दिन के अंदर अगर आप एनओसी नहीं देंगे तो यहाँ से रजिस्ट्रार, आरएनआई जो है, वह आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा । आपका अखबार चालू हो गया, आपके अखबार की प्रिन्टिंग चालू हो गई । उसी तरह से आप वहाँ जिले में आदमी को पोस्ट कीजिए । डीएम को छोड़कर डीटीसी को कर दीजिए, एसडीओ को कर दीजिए या एक नोडल अफसर बना दीजिए, जो कि इन चीजों को करता रहेगा कि यदि यूट्यूब चैनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो उसको हम कैसे रोकेंगे? यदि इस तरह का कोई अखबार ब्लैकमेलिंग कर रहा है, उसका सर्कुलेशन कुछ नहीं है और वह एडवरटीजमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, उसको किस तरह से रोकेंगे? यदि आप यह कर पाये तो यह जो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा काम किया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, लोगों को बोलने का अधिकार होगा, जगह-जगह अच्छे लोग जो कि किसी कारणवश दिल्ली तक दौड़ नहीं कर सकते या राज्य की राजधानी नहीं जा सकते, डीएम तक जिनकी पहुँच नहीं है, उनके लिए जो आपने यह पूरी व्यवस्था की है, जब तक आप इसको नहीं करेंगे तो वह नहीं होगा । इसीलिए मेरा यह मानना है कि ये जो तीन काम आपने

प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को सौंपे हैं कि फाइन, ठीक है, फाइन आपने किया, लेकिन फाइन एक बार करेंगे, लेकिन यदि दूसरी बार वह वायलेट करेगा, इसके बारे में कोई क्लेरिटी नहीं है । मान लीजिए कि एक बार उसने वायलेशन किया, आपने उसके ऊपर फाइन लगा दिया, लेकिन मान लीजिए यदि दूसरी बार भी वह वायलेट कर रहा है, वही काम कर रहा है, क्योंकि फाइन हमने कम लगाया है, कहीं 5 लाख लगाया है, कहीं 20 हजार लगाया है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे?

14.00 hrs

मेरा दूसरा सवाल यह है कि यदि प्रिन्टिंग ज्यादा दिखाकर, मान लीजिए वह लगातार 10 कॉपी प्रिन्ट कर रहा है, आजकल तो ऑनलाइन भी अखबार छाप देते हैं, और वह बता रहा है कि एक लाख कॉपी हैं । उसमें डीएवीपी का ले लेता है, राज्य सरकार का चला जाता है, भारत सरकार का चला जाता है या प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं, उसके आधार पर अपना एडवरटीजमेंट देती हैं । यदि आपको पता चलता है कि यह अखबार प्रिन्टिंग प्रेस में इतना ही छपता है और वह ज्यादा बता रहा है या इस प्रिन्टिंग के आधार पर इसकी कॉपी इतनी हैं, तो उसमें आपने फाइन कम लगाया है । मैं जानना चाहता हूँ कि यदि दूसरी बार वह वायलेट करता है, एक बार आपने मान लीजिए नोटिस दे दिया, फाइन लगा दिया, दूसरी बार करेगा तो उसको क्लोज करने के लिए क्या कोई व्यवस्था है या नहीं?

तीसरा, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस तरह यदि आप रोकेंगे तो कानूनी तौर पर उसके लिए उसको कोर्ट जाना है या कोई अपीलेट अथॉरिटी जायेगा, जैसे सभी चीजों का अपीलेट अथॉरिटी बनाया हुआ है । आप कोर्ट से इस तरह के केसेज को ईज आउट करने के लिए, या आम आदमी यदि कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेंट को देखने के लिए भी एक टाइम फ्रेम निर्धारित करेंगे । किसी ने कंप्लेन की कि यह सर्कुलेशन गलत है, यह रजिस्ट्रेशन गलत है, यह जो छाप रहा है, यह गलत है, यह ब्लैकमेलिंग है, उसके लिए एक टाइम आप निर्धारित करेंगे कि इसको इतने दिन के अंदर करेंगे । जैसे 60 दिन के अंदर आपने उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया, उसी तरह से जो ब्लैकमेलिंग करता है, उसे रोकने के लिए यदि आप टाइम बाउंड कर देंगे तो मुझे लगता है कि इस एक्ट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया है । अंग्रेजों की गुलामी की निशानी को मिटाने का जो अंतिम कानून है, उसे भी खत्म करने का जो यह बिल आप लेकर आए हैं, इससे भारत के नागरिकों को सुविधा होगी, आम लोगों को सुविधा होगी और जितने संबंधित लोग हैं, वे आपको दुआ देंगे ।

आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत ।

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Thank you very much, Madam. This Bill brings in much-needed modernisation in the regulation of Press whether it is print or digital. it is a very positive thing. The registration of digital media houses with Press Registrar General will curb the menace of fake news in India by weeding out the arbitrary formation of new digital houses, apps and websites.

It brings digital news media under its purview, which is expected to curtail the negative effects of apps, websites and social media accounts that are spreading fake news.

At present, digital news platforms are not covered by any registration process apart from IT and Digital Media Ethics Code Rules 2021, that made it mandatory for digital news platforms, to register themselves with the Government.

Establishment of the Press and Registration Appellate Board will hasten the justice delivery process in the registration and related disputes.

There are some negative points also. The Act did not include within its scope forms of digital media. This Bill is being seen as an attempt to expand regulatory control over free press. This is despite the fact that India's ranking in Press Freedom Index has been consistently falling since 2016 from 133 to 161 in 2023.

There are other issues also. With the opportunity in hand, I would also like to bring to the attention of the house other issues related to news media. As far as the prevalence of fake news is concerned, the National Crime Records Bureau has reported its increase by 214 percent in 2020. Fake news can cause severe chaos in society such as creating panic during a public health emergency as seen during COVID-19 Pandemic, or fuelling communal discords. I would urge the Minister to also clarify if there are any other concrete steps that the Government is taking to reduce the instances of fake news in the country.

I would also like to give some suggestions in this regard. The concerns of the people belonging to media fraternity regarding media freedom should be taken into consideration. Some safeguards should be provided against improper and arbitrary use of the Act. India needs to take powerful steps in order to improve freedom of the press in the country. Specific safety framework for journalists should be established after proper consultation with all stakeholders. There needs to be an independent financial audit authority to curb the cases of paid news and illegitimate interference by corporate houses.

With these concerns and suggestions in mind, the Bill is a step in the positive direction and will help make press publication in India fair and accessible. I support the Bill, Madam.

श्री राहुल रमेश शेवाले **(मुम्बई दक्षिण-मध्य):** सभापति महोदया, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदया, यह विधेयक प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 का स्थान लेगा । देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ब्रिटिशकाल के सभी कानूनों की समीक्षा करने का फैसला किया । माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने सौ साल से भी अधिक पुराने प्रेस और पुस्तक

पंजीकरण अधिनियम, 1867 को बदलने का बहुत सराहनीय कार्य किया है । मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूं । महोदया, जब देश गुलाम था, तब समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में मदद की थी, जिससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विपक्ष बनाने में मदद मिली । समाचार पत्रों ने लोगों में जागरुकता फैलाने में भी मदद की, जिससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और क्रांतिकारी कृत्यों को बढ़ावा मिला । प्रेस ने देशभक्ति, स्वतंत्रता, समानता और घरेलू शासन के आधुनिक आदर्शों का संदेश दिया जो भारतीयों में फैल गया । प्रेस ने प्रतिदिन ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना की जिससे लोगों में जागरुकता पैदा हुई । समाचार पत्रों ने न केवल सरकार की राजनीतिक योजनाओं की चर्चा की, बल्कि निरक्षरता से लड़ने, जनांदोलन को प्रोत्साहित करने और सरकार के खिलाफ खुली सक्रिय बहस पर भी ध्यान केंद्रित किया ।

सभापति महोदया, आज फर्जी खबरें समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं । फर्जी खबरें जबर्दस्त होती हैं और असली सच्चाई पर ग्रहण लगा देती हैं । मीडिया में फैली गलत सूचना और दुष्प्रचार एक गम्भीर सामाजिक चुनौती बनती जा रही है । इससे जहरीला माहौल बन रहा है और सड़कों पर दंगे और भीड़ द्वारा हत्याएं हो रही हैं । सभापति महोदया, फर्जी खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इस पर जरूर विचार करेंगे । सभापति महोदया, आज पत्रकारों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है । पत्रकारों के खिलाफ खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं । पत्रकारों को मिली कारावास की सजा रिकॉर्ड स्तर पर है । कुछ लोग अपने फायदे के लिए पत्रकारों को धमकाते हैं तथा उन्हें झूठे मुकदमों में फँसाते हैं । सभापति जी, हाल ही में पंजाब में वहां की सरकार ने अपने पार्टी अध्यक्ष के दबाव में एक महिला पत्रकार को झूठे मुकदमे में फँसाने की कोशिश की थी, इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है । सभापति महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है । इससे पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने में आसानी होगी । अभी तक ब्रिटिश काल का कानून चल रहा था । उस समय छोटी-छोटी गलतियों पर बड़ा दंड दिया जाता था, रजिस्ट्रेशन की लम्बी प्रक्रिया थी । उस समय पत्रकारिता के लिए रजिस्ट्रेशन करना एक जटिल कार्य था । इस विधेयक में ऐसे प्रावधानों को खत्म किया गया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

धन्यवाद ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to participate in the discussion on this Bill. As has been stated, media is not only confined to periodicals or printing materials today as it was in the 18th Century, 19th Century and 20th Century when printed materials were treated as media. Subsequently, with the advent of electronic media and with the support of satellites, media has undergone a tremendous change. What we are discussing today is related to print media or the periodicals, as it is said. There, I would say that it is uneven. Media has been categorised into three to four categories to which print media is only one part. Then, there is another part known as electronic or audio/visual media. Furthermore, there is social media which is also in two parts. So, what provisions is the Government making to make those alternative media, that are, electronic or audio/visual media and social media to be under the purview of this type of Act? There are four to five issues which are being discussed here. One is regarding replacing the PRB Act with PRP Bill, as we can call it. Moreover, it

empowers the Press Registrar General to a very great extent. It streamlines penal provisions. The new Bill contemplates a maximum imprisonment of six months if a periodical is published without a registration certificate, and the publisher continues printing despite receiving a direction from Press Registrar General for six months. This step aims to balance regulation while providing some relief to publishers. The fourth point is regarding introducing appellate authority. The last point is regarding exclusion of books and digital intimation. Now, the books fall under the domain of the Ministry of Education whereas the printing material will be under the purview of the Press Registrar General. The Press and Registration of Books Act, 1867 was enacted for the regulation of printing presses and newspapers for preservation of copies of books and newspapers printed in India. But this reminds us of the history when first, there was a hanging of Nandalal in Kolkata. When it was printed by a Britisher, he was prosecuted, and after that, all these provisions came into being. The Act has been amended many times between 1870 and 1983.

It remained peculiarly cumbersome and complex making it extremely burdensome and time consuming, specially for small and medium publishers in matters of verification of title and obtaining of certificate of registration for publishing a periodical. The need of the Bill today is that we are in a time of present age of free Press, and there is a need to uphold media freedom. This pre-Independence archaic law is not in sync with the current media landscape. Therefore, it is necessary that the proposed legislation is based on the spirit of upholding media freedom and ease of doing business by making the entire process of allotment of title and registration of periodicals simple and simultaneous, as it has been said by the Minister while introducing this Bill through an online system without the requirement of any physical interface, which should be fast-tracked by Press Registrar General thereby ensuring that publishers especially small and medium publishers face little difficulty. But what is the stand of the courts? The courts have generally adopted a narrow view, narrow interpretation to the provisions of this Act. In other words, they have tried to preserve the fundamental rights of the officers whenever the Act has been invoked. For instance, in Gopaldas Sharma vs. District Magistrate, the court emphasised the fundamental rights of the publishers and held that the officials need to mandatorily adhere to the principles of natural justice while assessing applications and declarations under the Act. Similarly, in K.A. Mohmmad vs. Revenue Officer case, the High Court upheld that the Government officials cannot place additional conditions on the publisher for publishing newspapers over and above the ones in the Act. The court came down heavily on

the officials for imposing the requirements of a police no objection certificate, and looking into antecedents of the publishers before accepting his declaration. In fact, time and again, the courts have called for its repeal given its unnecessary provision that it impacts particularly on freedom of speech especially in the Institute of Chartered Accountants of India vs. Union of India, 2005. So, the balance was needed to be brought in. The good aspect of the Bill is that earlier the publishers submitted the application to the district magistrate which was subsequently forwarded to the Registrar of Newspapers for India (RNI), and after thorough deliberation, the RNI approved the title. But this procedure was deemed overly complicated and lengthy; the process for applying has now been streamlined.

Secondly, the Bill has also decriminalized earlier provisions of the Act. This will further the cause of freedom of Press in the nation. But there are certain concerns, and lastly, I will give certain suggestions. The concern here is, especially raised by the Editors Guild of India, that in Section 6 (b) of the Bill, authority is granted to Press Registrar as well as any other designated authority to access the facilities of a periodical for the purpose of examining or duplicating pertinent records or documents or posing any unnecessary questions to obtain information required to be provided. The ability to enter a Press organization granted by this provision is excessively invasive. When the Government is saying, especially relating to Income Tax or Indirect Tax that we will not be invasive, through this provision in this Bill, the officers or the persons who will be entrusted with this job will be invasive. It is disconcerting that despite the claim in the Statement of Objects and Reasons that the intention is to streamline the process for Press organization, such powers are retained from the previous Act.

Furthermore, under the new Bill, the Press Registrar General can authorise any person who is a gazetted officer of the Central Government, subordinate to the Press Registrar General, and authorised by the Press Registrar General in writing, to undertake any verification of circulation figure of a periodical. Since the Press Registrar General can give the power to any Central Government gazetted officer to conduct this function with respect to verification of circulation, this would also mean that the Central Government officer could be allowed to enter the premises of the periodical?s management building. I think, this needs to be looked into because there are large number of officers and they periodically go to check the circulation figure of the respective periodicals, which they do once in two years or once in three years. Every time, the newspaper organisation submits an annual report to the RNI also.

Here, I have certain suggestions to make. Under clause 6(a), the Press Registrar General has been given the power to obtain annual statements of a periodical. In order to facilitate the ease of doing business and to further the cause of Digital Bharat, it must be ensured that this is carried out digitally. In Chapter VI, the Bill advocates for the establishment of an appellate board which is a commendable measure that introduces an extra avenue for the aggrieved to present their case. Nevertheless, there is a need for further clarification concerning the composition of this appellate board, including details about its members and their qualifications. I firmly believe that regional representation should be incorporated into the composition of the appellate board for a more inclusive and equitable structure.

Madam, in the contemporary landscape, it is noteworthy that every registered newspaper and periodical maintains a digital presence, disseminating articles through online platforms that may occasionally diverge from their traditional print counterparts. This evolution prompts critical inquiries into the regulatory mechanisms for such digital content. The question arises about how these divergent forms of publication will be governed. Furthermore, the governance framework for online media platforms warrants careful consideration and articulation given the distinct challenges and characteristics inherent in the virtual sphere. A helpful suggestion is for the Central Government to intervene and revitalise the industry by eliminating import duties on newsprint and introducing a scheme to encourage local production. The present Minister at one point of time was also part of the Finance Ministry. Therefore, I take the advantage of suggesting this to him. Currently, India heavily depends on newsprint imports and is the largest global importer, with 45 per cent sourced from Russia. The ongoing Russia-Ukraine crisis and associated sanctions have led to shipping containers? delays causing newsprint supply shortages. This, in turn, has resulted in higher input cost for domestic newspaper companies with newsprint accounting for 45 to 50 per cent of their total expenses. Consequently, prices have surged from USD 450 per tonne to USD 950 per tonne. This price escalation renders the newspaper business increasingly uneconomical, even leading to losses. Domestic manufacturers are adapting by converting their mills to produce packaging materials. Madam, as I had stated earlier, media has undergone a tremendous change. From 18th Century, now we are in 21st Century. In 21st Century, the print media is facing challenges from electronic media, especially the audio-video media and also from social media. So, media is now multiplying in different ways. Communication has multiplied in very many ways. In that respect, restricting or, in a way, putting conditions and, I would say, to control the print media is not that good.

It is necessary that equally certain measures also need to be taken to administer restrictions on social media, like we have gone through in the last Bill on Telecommunications. I believe, the Minister will look into the problems of print media which the country is facing today.

Thank you, Madam.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदया, धन्यवाद । मैं प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं । यह विधेयक, जो अंग्रेजों के जमाने का, वर्ष 1867 का कानून था, उसमें संशोधन करेगा । इसमें न सिर्फ संशोधन, बल्कि आमूलचूल परिवर्तन भी होने वाला है । यह देश माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से बदल रहा है और लोगों की सोच भी इसी रफ्तार से बदली है । जनता का विश्वास अब पूरी तरह से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर सिद्ध हो चुका है । अभी वर्तमान में पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है । उस यात्रा का जो अनुभव आया है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में हो, प्रधान मंत्री जी का जो संकल्प था, ?सबका साथ, सबका विकास?, वह पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा है । लाभार्थियों ने जो लाभ उठाया है, उनका जीवनस्तर कैसे बदला है, कैसे उनकी घर गृहस्थी सुधरी है, कैसे वे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनके परिवार के बच्चों का अब भविष्य सुरक्षित हो रहा है, वह इससे प्रदर्शित हो रहा है ।

यह जो कानून है, जिसको लेकर हमारे मंत्री जी आए हैं, यह एक बेहद महत्वपूर्ण, समावेशी और समय की मांग के अनुसार बहुत अच्छा कानून है और इसकी लोकतंत्र में बहुत अहमियत है । भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है । लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानी प्रेस के माध्यम से ही आम जनमानस में अपने विचार प्रस्तुत किया करते थे और स्वतंत्र भारत की स्थापना भी की थी । यह बेहद निराशाजनक बात थी कि देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक देश में प्रेस को रेगुलेट करने के लिए वर्ष 1867 के अंग्रेजी कानून को बदलने का काम नहीं हुआ ।

सभापति महोदया, अभी हाल ही में हम सबने इसी सदन में मिलकर रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल, 2023 को पारित किया । इसमें 76 पुराने और गैर-जरूरी कानून निरस्त हो गए । मैं यहां सदन में आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उनके अब तक के 9 वर्षों के शासन में रिकार्ड 1,562 पुराने और गैर-जरूरी कानूनों को चुन-चुनकर निष्प्रभावी कर दिया गया है ।

माननीय सभापति महोदया, अभी भी देखिए कि जब हम देश के हित में इतने महत्वूपर्ण विधेयकों पर चर्चा कर रहे हैं, तो विपक्ष गायब है । विपक्ष बाहर जाकर क्या कह रहा है? कभी तो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का अपमान हो रहा है, तो कहीं माननीय प्रधान मंत्री जी का अपमान हो रहा है और अनर्गल बातचीत करके देश में एक विषाक्त वातावरण बनाने में वह लगा हुआ है । इनका आचरण सदैव नागरिक विरोधी रहा है । इन्होंने वर्ष 2014 से पहले के शासन में गैर जरूरी कानूनों को निरस्त करना तो दूर की बात है, बल्कि नए कानून भी इस तरीके से बनाते थे कि उससे आम जनमानस को सिर्फ और सिर्फ दिक्कतों का सामना करना पड़े, यह उनके शासन काल की विशेषता रही है ।

मैं यहां पर सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 से पूर्व यूपीए-2 की सरकार में प्रेस से जुड़े इस कानून को बदलने का एक प्रयास किया गया था । लेकिन, दुर्भाग्यवश वे सफल नहीं हो पाए, जबकि उसमें जो प्रावधान थे, वे ऐज इट इज थे, उसमें कुछ भी नया नहीं था । विपक्ष बार-बार वर्तमान सरकार पर नहीं बोलने देने का आरोप

लगाता है । मैं आज यहां आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि उन्होंने प्रेस से जुड़े अपने कानून में, जो उन्होंने उस समय पर अमेंडमेंट लाने का प्रयास किया था, उसमें कॉलेज और यूनीवर्सिटी से निकलने वाले छात्रों के पत्र-पत्रिकाओं को भी कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया था । यह एक गैगिंग एक्ट नहीं हुआ तो क्या है?

यह विधेयक इज ऑफ डुइंग बिजनेस जैसा है, यह इज ऑफ लिविंग बढ़ाने का सरकार का सार्थक प्रयास है । मैं पूरे मन से इसकी सराहना करता हूं । यह बिल इतना सरल और अच्छा है कि कोई भी आम आदमी इसे पढ़कर समझ सकता है । मैं इसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताना चाहूंगा, विधेयक का मुख्य उद्देश्य है-प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा नियतकालिक पत्रिकाओं के शीर्षक, सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण की सरल ऑनलाइन प्रक्रिया तय करना, प्रेस महारजिस्ट्रार और प्राधिकारी को मुद्रक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करने का प्रावधान करना । समाचार पत्रों के परिचालन और सत्यापन से संबंधित विनिर्दिष्ट उपबंध करना । भारत में विदेशी नियतकालिक पत्रिकाओं के अनुकृत संस्करण के प्रकाशन के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा ।

आज कई ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं, जो दुनिया में छपते हैं और भारत के बारे में इतनी गलत टिप्पणियां लिखते हैं, उसका यहां के कुछ राजनीतिक दल के लोग भी समर्थन करते हैं । यह इतना महत्वपूर्ण प्रावधान आने वाला है, जिससे अब केन्द्र सरकार से अनुमति लिए बगैर कोई भी विदेशी पत्र-पत्रिकाएं कोई समाचार प्रकाशित नहीं कर पाएंगे । इसी तरह से विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन महारजिस्ट्रार द्वारा नियतकालिक पत्रिकाओं के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्द करने का अधिकार दिया जाएगा । प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन और वित्तीय शास्तियां अधिरोपित करने से संबंधित उपबंधों का निरपराधीकरण भी किया जाएगा ।

इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पत्र-पत्रिका को शुरू करने में पहले दो-तीन वर्ष लगते थे, कभी यहां चक्कर मारते थे, कभी वहां चक्कर मारते थे, लेकिन इस कानून के बन जाने के बाद अब सिर्फ दो से तीन महीने में यह प्रक्रिया आनलाइन पूरी कर दी जाएगी । अगर कोई भी नागरिक नया पत्र या पत्रिका निकालना चाहता है तो उसे अधिकारियों के यहां चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि वह आराम से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेगा ।

प्रिटिंग प्रेस के लिए भी यह विधेयक एक वरदान के समान है क्योंकि उन्हें भी बेमतलब के कम्पलाएंस से निजात दे दी गई है । अब उन्हें बार-बार अधिकारियों के समक्ष डिक्लरेशन भरने की बजाए बस इंटिमेशन देनी होगी । कुल मिलाकर मेरी नजर में यह एक बेहद महत्वपूर्ण और अच्छा विधेयक है ।

मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं, निशिकांत दुबे और महताब जी ने भी उसकी तरफ इशारा किया है । लंबे समय से टाइटल एक्टिव नहीं है, उसे खारिज किया जाए, जो भी एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाए, पीसीआई का ड्यूज क्लियर नहीं करता, उनका टाइटल भी सस्पेंड होना चाहिए । हर काम के लिए सिंगल विंडो हो ताकि काम आसान हो जाए । रोजाना अधिकारियों से मिलने का समय तय हो ताकि बाहर से आने वाले पब्लिशर्स को राहत मिले । प्रिंटर्स पब्लिशर्स के नाम टाइटल और आनरशिप ट्रांसफर की पॉलिसी को सरल करने के साथ-साथ समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए । ऑनलाइन टोकन्स की संख्या बढ़ाई जाए । वर्तमान में केवल पांच टोकन्स देने की व्यवस्था है । सर्कुलेशन, वेरिफिकेशन की अपील के आवेदन के बाद समय सीमा में काम हो, ऐसा प्रावधान किया जाए । टेलीफोन ऑपरेटर्स तैनात किया जाए और संबंधित द्वारा दी गई शिकायतें रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए । इसके साथ ही आरएनआई को वेबसाइट पर दें ताकि उसे मेल और टेलीफोन की जानकारी मिलती रहे ।

इसके साथ ही जिस तरह से हमारी संसद में शब्दों में संसदीय और असंसदीय की व्याख्या की गई है । कई अखबार ऐसे हैं जो इस तरह की भाषा लिखते हैं कि जिसको स्वयं पढ़कर व्यक्ति लज्जित हो जाए, शर्मसार हो जाए । उस पर रोक लगाने के लिए हम कानून में क्या प्रावधान कर सकते हैं कि संसदीय भाषा का ही उपयोग करें । कभी-कभी जाति सूचक भी लिखा जाता है और उस जाति को अपमानित करने का काम होता है ।

मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करना चाहिए । माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस पर भी कुछ विचार करें । इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, यह जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से न्यूज चला रहे हैं । फिर कहते हैं कि इसे दो लाख लोग देख रहे हैं, चार लाख लोग देख रहे हैं, बीस लाख लोग हमारे न्यूज को देख रहे हैं, उससे भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, उस पर भी रोक लगाने का काम होना चाहिए ।

अंत में, मैं इस विधेयक को देश में विचारों की स्वतंत्रता पुर:स्थापित करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण मानता हूं और पूरे मन से इसका समर्थन करता हूं । मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं । इस देश में अंग्रेजों के जमाने के कानून लादे गए थे जो कि 75 साल की आजादी के बाद आज तक चलते रहे । इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद है, जैसा निशिकांत जी कह रहे थे कि आजादी के बाद उनका जन्म हुआ, तब उन्होंने तय किया कि इस देश में सिर्फ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनताशाही है, जनता का राज है, उनके अनुकूल ही शासन व्यवस्था करने का काम करें । इस दिशा में देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है । मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं । जय हिंद ।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी, मैं 24 साल पत्रकार था और 24 साल खबरों के पीछे दौड़ता रहा । एक दिन सोचा कि कब तक खबरों के पीछे दौड़ोगे, एक दिन खुद खबर बन जाओ, इसके बाद मैं राजनीति के अंदर आ गया ।

माननीय मंत्री जी द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, 2023 लेकर आए हैं । माननीय मंत्री जी ने शुरूआती कमेंट्स में कहा कि हमने सभी राज्यों से बात की है, लेकिन जिनके लिए यह बिल लाया जा रहा है, क्या आपने उनके साथ चर्चा की है? अगर की है तो उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा है? यहां तो कहेंगे कि आप जो भी ला रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, चंगा चल रहा है, लेकिन जिनके लिए लाया जा रहा है, उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा है? द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो न्यूज़पेपर्स को चलाते हैं, उनके एडिटर्स ने इस बिल के बारे में कहा - The Editors Guild of India has expressed concern over the draconian provisions of the Press and Registration of Periodicals Bill, 2023, that can have an adverse impact on freedom of press. They said, ?the law on this issue should be more respectful of press freedom and should avoid granting vast powers to regulatory authorities to either interfere or shut down the press at their whims and fancies?.

इस बिल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कम है, रैगुलेशन कैसे किया जा सकता है, अपने हाथों में कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बिल का इंट्रोडक्शन एक बार गौर से पढ़ें - In the definition section, the term ?specified authority? gives powers to the Government agencies beyond the Press Registrar to

conduct the functions of the Registrar. यानी प्रेस रजिस्ट्रार, जिसकी मौलिक जिम्मेदारी इसे पूरा कंट्रोल करना है । इस बिल के अंदर आपने प्रेस रजिस्ट्रार के अलावा स्पेसिफाइड अथारिटी को भी पावर्स दे दी हैं । स्पेसिफाइड अथारिटी कोई भी हो सकती है, पुलिस भी हो सकती है, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी हो सकता है । आप उनको अख्तियार दे रहे हैं कि तुम किसी भी अखबार के ऑफिस जा सकते हो, चैकिंग कर सकते हो, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो । अगर प्रेस रजिस्ट्रार जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम पुलिस को अख्तियार दे देंगे कि न्यूजपेपर ऑफिस के अंदर जाकर चैक करो कि कितनी कॉपीज़ निकल रही हैं? आप इसका खुलासा करें । एडिटर्स गिल ने भी मांग की है कि इसका खुलासा करें ।

Sections 4(1) and 11(4) allow the Registrar to deny the right to bring out a periodical and cancel the certificate of registration of a periodical to persons convicted of a terrorist act or unlawful activity, or for having done anything against the security of the State. मंत्री जी, आज यूएपीए ड्रेकोनियन कानून का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? कल ही माननीय गृह मंत्री जी ने बिल पास किया है कि इसके और आईपीसी के अंडर कैसे कानून का दबाव लेकर आ सकते हैं, जिस लिबर्टी के साथ, जिस लिबरल तरीके के साथ इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपके खिलाफ बोलते हैं ।

अगर कल कोई अखबार सरकार के विरोध में कुछ लिखता है, आपकी लाइन टो नहीं करता है, आपको फॉलो नहीं करता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उसके ऊपर ड्रैकोनियन कानून का इस्तेमाल करते हुए एक्शन ले लें । इस पर भी हम खुलासा करना चाहेंगे । क्या पत्रकारों के ऊपर सेडिशन का कानून नहीं लगाया जा रहा है? कितने पत्रकारों पर आप सेडिशन का कानून लगा रहे हैं । मैं एक और चिंताजनक सेक्शन 6(बी) के बारे में बताना चाहता हूं, Section 6(b) of the Bill gives power to the Press Registrar, as well as any other ?specified authority? to enter the premises of a periodical to ?inspect or take copies of the relevant records or documents or ask any questions necessary for obtaining any information required to be furnished?. मेरा आपसे फिर से यह सवाल है कि आपका क्या मतलब है, जब आप यह कहते हैं कि ?specified authority? apart from the Press Registrar क्या डीएम को आप ये अख्तियार दे डालेंगे कि किसी पत्रकार के ऑफिस में जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे खिलाफ लिख रहा है । उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स देखो, चेक करो, बराबर से प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कॉपीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं । ये थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस आप क्यों लाना चाहते हैं, जबकि प्रेस रजिस्ट्रार की यह मौलिक जिम्मेदारी है कि उसको वह अच्छी तरह से निभाए ।

मंत्री जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कोविड में कई लोगों की जानें गईं । मैं आज भी यह मानकर चलता हूं कि इस देश में हर मरने वाला इंसान कोविड से नहीं मरा था । हमारी मेडिकल फैसिलिटीज कितनी खराब थीं, उनकी वजह से भी इंसान मरा था । यह अलग मुद्दा है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे । कोविड के बाद सबसे बड़ी चोट अगर किसी के ऊपर हुई, तो वह अखबारों पर हुई । सर्कुलेशन घट गया, तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू घट गया । अब ऐसे हालात में यह आपकी और सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन अखबारों को कैसे जिंदा रखें । आपने यह किया कि डीएवीपी का जो बजट 800 करोड़ रुपये था, उसे 160 करोड़ रुपये पर ले आए । मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है, तो उर्दूभाषी अखबार, जो निकलते थे, उनका हुआ है, जो पूरी तरह से खत्म हो गए । मैं चाहूंगा कि आप यह आंकड़ा देश को बताएं कि कोविड के बाद कितने अखबार बंद हो चुके हैं, फिर चाहे वे मराठी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगू के अखबार हों या किसी अन्य भाषा के । यह

दुनिया भर में हुआ, लेकिन दूसरे देशों ने अपने अखबारों को जिंदा रखने के लिए अपना पैकेज दिया, एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ाकर दिया, जबकि हमने बजट घटा दिया है ।

महोदय, दूसरी बात यह है कि अगर ये रीजनल भाषाएं खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो आपकी जो सरकारी स्कीम्स हैं कि हम अगर मध्य प्रदेश या राजस्थान में जीतकर आ गए, तो इम्तियाज जलील महाराष्ट्र में 1120 रुपये में गैस का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी जी की गारंटी राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए यह है कि अगर हम जीतकर आ गए, तो हम 450 रुपये में देंगे । यह सब आपको रीजनल लैंग्वेजेज के जरिए ही लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा । अगर वर्नाकुलर डेलीज़ खत्म हो गए, बंद हो गए, तो आप सरकारी स्कीम्स वहां कैसे पहुंचा सकते हैं? इसके अंदर पब्लिशर और प्रिंटर का भी जिक्र किया गया है ।

मंत्री जी, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं । मेरे औरंगाबाद शहर में एक लड़की पिछले कई सालों से पीएचडी के लिए रिसर्च कर रही थी । उसको पीएचडी मिल गई । उसकी जो थीसिस थी, उसे किसी ने चुरा लिया । उसके बाद उसकी बुक बनाई । उस बुक के ऊपर न पब्लिशर का नाम है, न प्रिंटर का नाम है और आप हैरान होंगे कि मेहनत बेचारी उस बच्ची ने की और वह बुक दुनिया के इंटरनेशनल लेवल के बुक स्टोर्स, जिनमें एमेजॉन, वालमार्ट, ई-बे आते हैं, ने वर्ड टू वर्ड उस बच्ची का थीसिस कॉपी करके एक किताब बनाई और उस किताब में न पब्लिशर का नाम है, न प्रिंटर का नाम है और यह बुक 5 हजार रुपये से 10 हजार रुपये में आज भी वेबसाइट पर बिक रही है । वह बेचारी बच्ची जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पुलिस के पास गई और कहा कि यह मेरी मेहनत है, वर्ड टू वर्ड कॉपी किया गया है, तो पुलिस को खुद नहीं पता कि हम वाल मार्ट, एमेजॉन तक कैसे पहुंचें? कॉपीराइट का उल्लंघन अगर कोई पब्लिशर ऐसे ही कर देगा, तो बेचारी बच्ची की मेहनत यहां से खत्म हो जाएगी ।

दूसरा विषय, जैसा मैंने आपको बताया है, अभी एक साहब ने कहा कि कुछ अखबार संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए । मैं भी पत्रकार था । लेकिन, पहले हमारे संसद सदस्यों को भी यह सोचना चाहिए कि संसद के अंदर क्या हम संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? यह भी आपको बताना चाहिए ।

इस बिल के अंदर, मैं माननीय मंत्री जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में क्यों नहीं जिक्र किया गया है कि आज डिजिटल मीडिया, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर एक कांप्रिहेंसिव बिल लेकर आना है, आप इसके अंदर, आज जो यूट्यूब चैनल्स, सभापति महोदया, आपके शहर के अंदर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल शुरू हो गए होंगे, अखबारों से ज्यादा अब हम वाट्सएप के ऊपर देख लेते हैं कि क्या खबर आई है, क्या आप इसको रेगुलेट कर पाए हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या इसके लिए कोई रेगुलेशन है? कोई रेगुलेशन नहीं है । कोई भी उठता है, आता और कहता है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूं और वह स्टार्ट कर देता है । अगर आप इसको भी इस बिल के अंदर लेकर आते तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता ।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा । महाराष्ट्र में तकरीबन 20,098 पब्लिकेशन्स हैं, जिसमें तकरीबन 7000 महाराष्ट्र के अंदर उर्दू अखबार हैं । अगर इन अखबारों को जिंदा रखना है तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी जो सोच है, वह उर्दू की ताल्लुक से, यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश अंदर हमने जुबानों को भी मजहबों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है । कितने ऐसे पुराने सदस्य 60, 70 और 80 साल के होंगे, जो उर्दू में पढ़े हैं, उर्दू लिखते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं । लेकिन, आज उर्दू को एक मजहब के साथ जोड़ दिया गया है । माननीय मंत्री जी एक शायर हैं, उस शायर ने उर्दू के ताल्लुक से

अखबारों की क्या हालत हो रही है और उर्दू की क्या हालत हो रही है, इकबाल अशहर नाम के एक शायर ने इस पूरी जुबान को किस तरीके से आज दरकिनार कर दिया गया है, उसके बारे में चार लाइन है । मैं आपको सुनाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी गौर से सुनिए,

?उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली,

क्यों बनाते हो मुझको तास्सुब का निशाना?

मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना,

देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना,

अपने ही वतन में हूं मगर आज अकेली,

उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली ।?

तास्सुब का मतलब भेदभाव है ।

महोदया, इन जुबानों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी और अखबारों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी है । यह बिल, मैं समझता हूं कि प्रेस फ्रीडम की आजादी को कुचलने का और खत्म करने का एक जरिया है । आपने बहुत सारे इंस्टिट्यूशन्स अपने कब्जे में ले लिये हैं । मीडिया भी तकरीबन, मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया आपके हाथों में आ चुका है । जो बचे-खुचे हैं, उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते है? यह बिल उसकी तरफ जा रहा है । यह मैं अकेले नहीं कह रहा हूं । आप यह मत कहिएगा कि मैं विपक्ष के अंदर खड़ा हूं तो मेरी यह राय है । जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, जो हिन्दुस्तान के हर बड़े-छोटे अखबार को रिप्रेजेंट करता है, अगर उनके एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आपको यह कहता है कि यह प्रेस फ्रीडम के ऊपर इस बिल का हमला है । उन्होंने यह मांग की है, माननीय मंत्री जी मैं भी आपसे यह मांग करता हूं कि पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के सामने इस बिल को भेजा जाए, ताकि इस मीडिया की आजादी को, जिसको हमने पिछले 75 सालों से जिंदा रखा है, आगे भी यह जिंदा रहे । हम यही उम्मीद करते हैं । धन्यवाद ।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अंग्रेजों के काले अध्याय से छुट्टी दिलाने के लिए अनुराग जी जो बिल लेकर आए हैं, उस पर बोलने का मौका दिया । यह बिल माननीय प्रधानमंत्री जी के उस गारंटी को पूरा करने का प्रयास है । पुरानी गुलामी की सब चीजों से निजात पाएं, जिनसे लोगों की गुलामी की तस्दीकियां बाहर हो जाएं । The Press and Registration of Periodicals Bill एक महत्वपूर्ण और लोकतांत्रिक विचारों के समावेशी और समय की मांग के अनुसार बहुत ही अच्छा कानून है ।

सभापति महोदया, मैं सरकार को और देशवासियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदया जी, इससे पहले भी रीपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2023 को पारित किया गया था, जिसमें 76 पुराने गैर जरूरी कानूनी को निष्क्रिय किया गया था । मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन कानूनों के लिए लोगों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थीं, बेवजह के कानूनों की आड़ लेकर ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात नहीं सुनते थे, ऐसे 1,562 कानूनों से छुट्टी मिली है । आज अनुराग जी ऐसा 1,563 वां कानून लेकर आए हैं । परंतु प्रेस की आजादी और

लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस बात को लेकर कुछ लोग यहां पर काफी लंबे समय से बड़ी नौटंकी कर रहे हैं । उनके पास और कोई विषय नहीं है । माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि हम जो कहेंगे, उस गारंटी को पूरा करेंगे । ईमत्याज़ जलील जी, माननीय प्रधानमंत्री यही तो कहते हैं कि चर्चा करिए, सुझाव दीजिए और वे इस बात में भेदभाव नहीं करते हैं । आपके अंदर एक वहम है कि मैं विपक्ष से होकर सुझाव नहीं दे सकता हूं । विपक्ष का होने के बाद अगर आपका भी कोई सुझाव देशहित में है, जनहित में है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसको भी स्वीकार करते हैं । प्रधानमंत्री जी बार-बार पूरे देशवासियों से यह बात कहते हैं । ?मन की बात? कार्यक्रम का मजाक उड़ाने वाले लोग सुनिए । वहां देश के करोड़ों लोगों के मन की बात होती है । जिनको कभी सुना ही नहीं गया, देखा ही नहीं गया, उनकी प्रतिभा दबकर रह गई, वे अपने मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं और ?मन की बात? के कार्यक्रम के माध्यम से अन्य लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं । जहां तक प्रेस की आजादी की बात है, इस बिल एवं अन्य बिलों के माध्यम से, राजकुमार जी अनेकों प्रकार की बातें बोलते रहते थे, मैं सन् 1951 का उनके नाना नेहरू जी के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं । वह एक कानून लेकर आए थे, सन् 1951 में नेहरू जी प्रेस (ऑब्जेक्शनेबल मैटर) बिल पास कराना चाहते थे । वह बिल तो पास नहीं करा पाए, उसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी जी ने उनकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए एक कविता लिखी थी । उनकी कविता के माध्यम से क्रिटिसाइज करने मात्र से नेहरू जी ने मजरूह सुल्तानपुरी जी को एक साल तक जेल में डलवा दिया था । क्या वह लोकतंत्र की आजादी थी? मैं देशवासियों से यह पूछना चाहता हूं । राहुल बाबा, एक बार यह भी बताइए ।

मैं एक और बात बताना चाहता हूं । कल्याण बनर्जी जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, वे इस सदन का अपमान कर रहे हैं । वे किस प्रकार से मिमिक्री कर रहे हैं । वह सरेआम पार्लियामेंट के प्रांगण में मिमिक्री कर रहे हैं और राजकुमार जी वीडियो/फिल्म बना रहे हैं । वह माननीय उपराष्ट्रपति एवं किसी ओबीसी समाज के बेटे का अपमान नहीं है, बल्कि अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान और उस पीठ का अपमान है, जिस पर वह बैठकर सदन को चला रहे हैं । वे उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं । उनको कोई छेड़ भी नहीं रहा है, कोई उनसे कुछ बोल भी नहीं रहा है । इससे बड़ी आजादी क्या होगी? मैं उन राजकुमार जी से कुछ पूछना चाहता हूं । एक ?ऑर्गेनाइजर? नामक मैगजीन आया करती थी । पार्टीशन के समय कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ चूक हुई है, अंग्रेजी की ?ऑर्गेनाइजर? मैगजीन उसमें यह छापना चाहती थी । वह आरएसएस के माध्यम से चलाई जाती थी । जब वह छप रही थी, तो ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाकर उस मैगजीन को आदेश दिया गया कि हमारा अप्रूवल लिए बगैर इस ?ऑर्गेनाइजर? मैगजीन में एक भी शब्द नहीं छपेगा । नेहरू जी ने उस जमाने में यह आदेश दिया था । इसी प्रकार से सन् 1953-54 का मामला है । ?क्रॉस रोड्स मैगजीन? पर सरकार ने बैन लगा दिया था । ?क्रॉस रोड्स मैंगजीन? के जो एडिटर थे, वे कोर्ट चले गए थे । कोर्ट ने उनके हित में आदेश पारित कर दिया था । कोर्ट द्वारा आदेश पारित करने के बाद नेहरू जी ने संसद में उसके खिलाफ एक कानून बनाया, ताकि उस मैगजीन पर रोक जारी रहे एवं इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए । इसी प्रकार से टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री ए. डी. गोरवाला जी एक पत्रकार थे और वे एक सिविल सर्वेंट भी थे । वे टाइम्स ऑफ इंडिया में ?विवेक? नाम से एक साप्ताहिक कॉलम लिखा करते थे । उन्होंने ?विवेक? कॉलम के माध्यम से नेहरू जी कि कुछ पॉलिसियों को क्रिटिसाइज कर दिया था, जो बाहर मीडिया में या इधर-उधर चिल्लाते हैं, जो आपके घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ?विवेक? कॉलम लिखने वाले एक सिविल सर्वेंट एवं एडिटर ए. डी. गोरवाला थे, उन्होंने बैन करवा दिया कि इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका कोई भी एडिटोरियल नहीं छपेगा । यह कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुआ था ।

उसके बाद एक हो, दो हो, चार हो, मैं और क्या-क्या बताऊं । ?सिंहभूम एकता और समता? के एडिटर्स अजय मित्रा जी और गुरु शरण सिंह जी थे, क्योंकि उन दोनों ने ?सिंहभूम एकता और समता? नामक पत्रिका में सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था, इसलिए सन् 1980 में नेहरू जी ने उनको गिरफ्तार करवा लिया था ।

मैं नाम कोट कर रहा हूं । बीजी वर्गीज़ ने मारूति कंपनी बनने पर एक परिवारवाद के नाम से परिवारवाद आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कॉलम हिन्दुस्तान टाइम्स में लिख दिया । वह हिन्दुस्तान टाइम्स में नौकरी किया करते थे । उसके छपने के अगले ही दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको नौकरी से बाहर निकलवा दिया । बीजी वर्गीज़ हिन्दुस्तान टाइम्स के पत्रकार हुआ करते थे । मैं वर्ष 2020 में आना चाहता हूं । महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी । उस कांग्रेस की सरकार में अर्नब गोस्वामी जी ने महाराजा शहशांह जिल्ल ए इलाही श्रीमती सोनिया गांधी जी से मात्र एक सवाल पूछ लिया था । सोनिया जी से सवाल पूछने पर अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ सौ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उनके दफ्तर पर छापा मारा गया और अर्नब गोस्वामी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया । हम इनसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह लोकतंत्र की प्रैस की आजादी है और क्या यह लोकतंत्र की आजादी है? सभापति महोदया, एक बौने दुर्योधन साहब दिल्ली में महाराजा बने बैठे हैं । वह कहते थे कि मैं लोकतंत्र को लेकर आऊंगा । सोनिया भ्रष्ट हैं, सिब्बल जी भ्रष्ट हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पंचायत है, लेकिन आजकल उन्हीं की गोदी में झूल रहे हैं । उन्हीं की गोदी में झूलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 50-56 करोड़ रुपये का एक शीशमहल दिल्ली में बनवाया है । वह यह कहता था कि मैं दो कमरे के मकान में रहूंगा । शीला दीक्षित को 27 एसी के मकान में रहने की क्या जरूरत है? मुख्य मंत्री दो कमरे के मकान में क्यों नहीं रहते हैं? उन्होंने कोविड के समय में अपने लिए 50 करोड़ का शीशमहल बनवाया । अध्यक्षा जी, दुनिया कोविड से जूझ रही थी, लेकिन उनके शीशमहल का काम चल रहा था । एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया था । इन्होंने उस पत्रकार को पंजाब में एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में बंद करवा दिया और उस लड़की को जेल में भिजवा दिया । जब वह हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने एफआईआर को कोअर्स किया, उनकी जमानत ली और इनके मुंह पर तमाचा मारा । हाथ में हाथ मिलाकर कौन चल रहा है? ये घमंडिया गठबंधन के रूप में ... * के साथ कौन चल रहे हैं, बौने दुर्योधन साहब के हाथ में कौन चल रहे हैं? मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं । इसी प्रकार से भावना किशोरी जी पत्रकार थीं ।

महोदया, अभी कहा गया कि ईमानदारी से सारे खाते और पार्टी के सारे अकाउंट्स ऑनलाइन डालेंगे । ईडी ने घमंडिया गठबंधन के बौने दुर्योधन साहब को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया । वह पंजाब चले गए और ईडी का नोटिस वापस कर दिया । उन्होंने कहा कि मैं ईडी का नोटिस नहीं लेता है । क्या यह बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून की बराबरी हो रही है? देश के 130 करोड़ लोगों ने माननीय प्रधान मंत्री जी को इसीलिए आशीर्वाद दिया था कि बड़े-बड़े मगरमच्छ देश को लूट रहे हैं, लालू जैसे लोग ऐशो-आराम लूट रहे हैं । उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक माफिया लोग किस प्रकार से लोगों का हरासमेंट करके और मर्डर करके संपत्तियों पर कब्जे करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी । वे बड़े-बड़े अफसरों के साथ मिलकर देश को लूट रहे थे । जो खुद देश के मालिक बनकर देश को लूट रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए । मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि ऐसे लोगों बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो । प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो, अगर कोई भ्रष्टाचार से गरीब के पैसे खाएगा, वह किसी भी विचारधारा और सोच का होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा । छोटे-मोटे लोगों, गरीबों और मजदूरों के खिलाफ ऐक्शन होता है, लेकिन जब बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ ऐक्शन होता है तो कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है । आपने जो बातें कहीं हैं, यह इस बात का द्योतक है । हमारे यहां एक कहावत है कि भैंस अपने रंग को नहीं देखती है कि उसका रंग कैसा है, लेकिन भैंस छाते को देखकर बड़ी उछल-उछलकर भागती है । यह हाल इन घमंडिया गठबंधन वालों का है । ये

अपने बैकग्राउंड में जाते नहीं है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मोदी जी की सरकार पर आक्षेप लगाने और तानाशाही की बात कर रहे हैं । हम लोगों को इससे और उस तानाशाही से कंपेयर करना चाहिए । इस बिल के अंदर यह है कि कोई भी आम आदमी इसको आसानी से पढ़ सकता है । जो नौजवान हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, जो अपनी प्रतिभा को लेकर लोकतांत्रिक पद्धति से देश का भविष्य बनाने और नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए अच्छे विचार लिख सकते हैं, वे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने लेख कानूनी तरीके से लिख सकते हैं । वे अनुराग जी के मंत्रालय के माध्यम से वे मदद भी मांग सकते हैं । मुझसे पहले किसी ने बोला है कि लोग दो-तीन साल तक चक्कर काटते थे, लेकिन इस बिल के अंदर ऐसा है कि अब उनको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ।

15.00 hrs

अपनी पत्रिका निकालना चाहते हैं, अपना छोटा-मोटा न्यूजपेपर निकालना चाहते हैं तो वह उसको अमलीजामा पहना सकते हैं । मेरा एक निवेदन माननीय मंत्री अनुराग जी से है और इस बिल को लेकर दो-तीन सुझाव भी हैं । पहला सुझाव तो यह है कि जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनको कहीं न कहीं बड़े-बड़े मीडिया घराने गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए कोई न कोई हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था जर्नलिस्टों की सीनियोरिटी के हिसाब से होनी चाहिए । उसके लिए सरकार कोई पैमाना बनाए । उनके हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए । ऐसे पत्रकार बेबाकी के साथ राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं । इसके साथ-साथ हर क्षेत्र में, हर वर्ग में हर प्रकार के लोग होते हैं । तीन-चार अन्य माननीय सदस्यों ने भी चिंता व्यक्त की है कि कुछ गंदे किस्म के लोग भी हर व्यवसाय में होते हैं । उनका रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, उनकी कोई पत्रिका निकालने से पहले हमें उनका पिछले तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कहीं वे कोई छोटी-मोटी पत्रिका या अखबार निकालकर लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे तो वसूल नहीं करना चाहते हैं । ऐसे लोगों का पिछले दो साल, ढाई साल या तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद ही उनकी सीनियोरिटी के अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए । उनको तभी परमिशन मिलनी चाहिए कि वे इस प्रकार के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार पत्रिका या अखबार निकालने के लिए एंटाइटल हैं या नहीं हैं । इस एक अच्छे बिल के ऊपर जो देश में प्रेस की आजादी को लेकर और आने वाले देश के भविष्य, नौजवानों के विचारों को व्यक्त करने के लिए, देश के आम जन तक पहुंचाने के लिए, जो उनको छूट की आजादी मिली है, कुछ चंद लोगों के हाथों में मीडिया और पत्रकारिता न रहे, आम देश के व्यक्ति को उपभोग करने का अधिकार हो, नये रूप में यह बिल लेकर आए हैं, जो डेढ़ सौ साल पुराना बिल था, उससे निजात दिलाई है । मैं पुन: एक बार फिर से अनुराग जी को बधाई देते हुए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 1562 के बाद 1563 वें कानून को भी आज तिलांजलि देने का काम किया है, जो कि डेढ़ सौ साल पुराना था । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): धन्यवाद सभापति महोदया । प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक बहुत ही अच्छा कानून है और नये भारत में नया कानून बनना भी चाहिए । देश में हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद से पिछले अनेक वर्षों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह उन्होंने देश के लोगों को हर तरह से सेवा मिले, बेहतर सुशासन हो, उसके लिए उन्होंने हमेशा चिंता की है । उसी के अनुरूप आज जो कानून हमारे बीच में लाया गया है, यह बेहद ही न्यायसंगत है । सबसे पहले तो मैं सरकार को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी को और माननीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने प्रेस पर अंग्रेजी शासन के उस काले अध्याय को समाप्त कर भारत शासन की स्थापना की है और समाज को एक नई दिशा देने की शुरूआत की है । माननीय सभापति महोदया, अभी हाल ही के दिनों में हमने मिलकर रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2023 पारित किया है, जिसमें 76 पुराने और गैर जरूरी कानूनों को

निरस्त किया गया है जो आज के दौर में बेहद जरूरी भी था । मैं इस सदन का भी और आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी का भी पुन: आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अब तक के नौ वर्ष के शासन काल में रिकॉर्ड 1952 पुराने और गैर जरूरी कानूनों को चुन-चुनकर निष्प्रभावी कर दिया है । समाज के भीतर में उन कानूनों से हमेशा लोगों के विपरीत काम होता था, समाज के विपरीत काम होता था । उनको निरस्त करके एक नये कानून को लाने का काम किया है, जो देश के हित में है, समाज के हित में है, लोगों के हित में है । आज इससे सरकार की सिटीजन सैंट्रिक नीतियों का पता चलता है, नयेपन का पता चलता है । माननीय सभापति महोदया, अभी-अभी आप देखिए कि जब हम देश के हित में इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे विपक्ष के लोग गायब हैं ।

ये अक्सर सरकार के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं और विदेश में जाकर कहते हैं कि ये हमें बोलने नहीं देते हैं, भारत का लोकतंत्र खतरे में है । जब सब कुछ सामान्य है तो उनके पास समय नहीं है और वे वॉकआउट करके बाहर बैठे हुए हैं । सभापति महोदया, इनका आचरण सदैव नागरिक विरोधी रहा है । वर्ष 2014 से पहले के शासन में गैर जरूरी कानूनों को निरस्त करना तो दूर, बल्कि ये नए कानूनों को भी इस तरीके से बनाते थे, जिससे आम जनमानस को सिर्फ दिक्कतों का सामना ही करना पड़ता था । वे समाज के लिए एकदम विपरीत थे और किसी तरह से भी हितकारी नहीं थे ।

सभापति महोदया, मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 के पूर्व यूपीए ? 2 की सरकार में प्रेस से जुड़े उन कानूनों को बदलने का निरर्थक प्रयास किया गया था, लेकिन यह तो भला हुआ कि वह कानून पारित ही नहीं हो पाया । अन्यथा उस कानून में सन् 1867 के अंग्रेजों के कानूनों से कुछ भी भिन्न नहीं था । उन्होंने जनता को प्रताड़ित करने के लिए उस कानून में 50 से ज्यादा क्लॉज रखे हुए थे । जेल का प्रावधान भी वैसे का वैसा रखा गया था । वह यहां के लोगों की सुविधा से परे था । वह और ज्यादा घातक था, जिसके चलते आज वर्तमान में इस कानून को मोदी जी की सरकार ने समाज के हित में, लोगों के हित में, जो बेहतर हो, उसको देखकर इसे लाने का काम किया है ।

सभापति महोदया, विपक्ष बार-बार वर्तमान सरकार पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाता है । मैं यहां आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि प्रेस से जुड़े कानून में कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले छात्रों को तथा पत्र-पत्रिकाओं को कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया है । प्रेस समाज के विरोधी तत्वों को, जो समाज के लिए घातक हैं और गलत कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को पत्रिका के माध्यम से हीरो जैसा बनाकर समाज के भीतर लाने का प्रयास किया जाता हैं, जो काफी निंदनीय है । हमने उसका पुरजोर विरोध किया था । आज भी हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, जो समाज के हितकारी नहीं हैं, देश के हितकारी नहीं हैं और वे दूसरों के बीच में देश को बदनाम करने में जुटे रहते हैं । सभापति महोदया, यह विधेयक ईज ऑफ डुइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने की दिशा में सरकार का एक नया सार्थक प्रयास है, जो कि काफी सराहनीय कदम है । मैं पूरे मन से इसकी सराहना करता हूँ । यह इतना सरल और अच्छा है कि कोई भी आम आदमी इसे पढ़कर समझ सकता है । इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले किसी भी पत्र या पत्रिका को शुरू करने में दो से तीन वर्ष लग जाते थे । इससे लोगों का उत्साह घट जाता था और लोगों की दिक्कतें भी बढ़ जाती थीं, लेकिन इस विधेयक को लाने के बाद लगभग दो या तीन महीने में ही इसे पूरा कर लिया जाएगा । लोगों की जो परेशानी थी, वह खत्म हो जाएगी । हम कम समय में इसकी शुरुआत कर सकेंगे । सभापति महोदया, अब अगर कोई भी नागरिक नई पत्र या पत्रिका निकालना चाहता है तो उसे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे । बल्कि अब इसे आराम से घर बैठकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं । यह भी सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा कदम है । प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी यह विधेयक वरदान के समान है । अब इसमें बेमतलब की कंप्लायंस से

निजात दे दी गई है । अब उन्हें बार-बार अधिकारी के समक्ष डिक्लेरेशन भरने के बजाय इंटीमेशन देना होगा । हम लोग अक्सर देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में लगातार समाज विरोधी कई ऐसी चीजों को लोग दिखाने का काम करते हैं, जिससे आम लोगों पर असर पड़ता है । छोट-छोटे बच्चों में भी इसका बुरा असर देखा जाता है ।

आज हम वह दिन नहीं भूले हैं, जब आपात काल के समय इंदिरा जी की सरकार थी, उस समय किस तरह हमारे पत्रकार बंधुओं पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई थी, आज यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । मेरी नजर में यह बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा विधेयक है । हम सौभाग्यशाली हैं कि आजादी के बाद देश में ऐसे प्रधान मंत्री जी का आगमन हुआ, जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और वे देश के मान और स्वाभिमान को विश्व क्षितिज पर ऊंचा करने में कामयाब रहे हैं । वह दिन दूर नहीं है, जब भारत वर्ष 2047 में पहुंचेगा और 100 साल पूरा करेगा । देश के प्रधान मंत्री जी की सोच है कि नए भारत का निर्माण होगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा । इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं । यह बात सही है कि मैं इस विधेयक को, देश के विचारों को, स्वतंत्रता प्रतिस्थापित करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक मानता हूं । मैं पूरे मन से इसका समर्थन करता हूं ।

मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी की और भाई अनुराग ठाकुर जी को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देते हुए, अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं । जय हिंद, भारत माता की जय । धन्यवाद ।

_____

15.12 hrs

PRESS AND REGISTRATION OF PERIODICALS BILL, 2023?Contd.

As Passed by Rajya Sabha

श्री राम कृपाल यादव **(**पाटलिपुत्र**):** सभापति महोदया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की है । मैं यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी और माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, जैसे महत्वपूर्ण विषय को लाकर एक नया क्रांतिकारी कदम उठाया है और प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखा है ।

महोदया, हम सभी लोग जानते हैं कि देश की आजादी के बाद से आज तक प्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है । देश की आजादी के समय भी प्रेस के माध्यम से लोगों ने अपने विचारों को जनता के समक्ष ला कर, जनता का समर्थन प्राप्त किया और उनके बड़े योगदान से आजादी मिली ।

भारतीय लोकतंत्र में संविधान यह कहता है कि लोकतंत्र का यह चौथा बड़ा मजबूत स्तम्भ है, जिसके माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं । निश्चित तौर पर ये समाज को और देश को एक गति प्रदान करने का काम करते हैं । एक जमाना था, जब हम केवल प्रेस के माध्यम से अपनी बातों को जन तक पहुंचाते थे । जमाने में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ । कुछ समय के बाद रेडियो हमारा सहारा बना ।

बाद के दिनों में दूरदर्शन एक सहारा बना । धीरे-धीरे बड़े पैमाने पर हम आगे बढ़ते गए । अब तो डिजिटल का जमाना आ गया है और आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा कर अपनी बातों को, समाज की बातों को, देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं ।

महोदया**,** हम माननीय प्रधान मंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं । आपने देखा होगा कि विगत सालों में अंग्रेजों के जमाने के वे कानून, जो उनके हित के लिए थे । देश के हित के लिए नहीं, समाज के हित के लिए नहीं, बल्कि उनके हित के लिए थे, उनकी सुरक्षा के लिए थे, अंग्रेजियत को मजबूत करने के लिए, लोगों पर जुल्म ढाने के लिए, कई सारे कानून थे । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में धीरे-धीरे यह सोच बहुत सकारात्मक हुई और उन तमाम कानूनों को, जिनकी आज के माहौल में, आज के परिवेश में बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं थी, कई कानूनों को समाप्त करने का काम किया गया है । उसी कड़ी में अभी हाल के दिनों में यशस्वी गृह मंत्री जी ने तीन नए विधेयक लाकर एक नया रूप-स्वरूप कानून को देने का काम किया है और न्याय की व्यवस्था करने का काम किया है । नए भारत का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया है, उसके लिए भी हम अपने प्रधान मंत्री जी का और गृह मंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहते हैं । उसी कड़ी में यह कानून वर्ष 1867 में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम बना था । मैं समझता हूं कि यह कानून अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बना था । मैं समझता हूं कि बाद के दिनों में सरकार ने इस बात को सोचने का काम किया है । वर्तमान सरकार द्वारा आज इस सदन के माध्यम से इस कानून को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है ।

साधारण बात यह है कि प्रावधानों और विचारों का इस कानून के माध्यम से, जो पहले का कानून था, उसके विचारों का गला घोंटने का काम किया जा रहा था । आज वर्तमान सरकार इसे परिवर्तित करने का काम कर रही है । पूर्ववर्ती सरकार, जो हमारी सरकार से पहले थी, जिसको घमंडिया इंडिया, जो आज नहीं हैं, उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है । आपने देखा होगा कि जिस तरह से मेरे संसदीय जीवन का बड़ा काल हुआ है, मैंने इस तरह की हरकत विपक्ष के माध्यम से नहीं देखी है । लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है । निश्चित तौर पर लोकतंत्र को तार-तार करके रख दिया है । विपक्ष की भूमिका सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री राम कृपाल यादव **:** उस सारी भूमिका को खत्म करने का काम किया है ।? (व्यवधान) महोदया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** टाइम की थोड़ी सी कमी है । आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री राम कृपाल यादव **:** मुझे पता नहीं है कि जब मैं बोलना चाहता हूं, तब चेयर से रूलिंग हो जाती है कि बैठ जाओ ।? (व्यवधान) मैडम, ऐसा नहीं करिये । आपका संरक्षण चाहते हैं और मुझे भरोसा है कि आपका संरक्षण मिलेगा । महोदया, मैं यह कह रहा था कि जो महत्वपूर्ण बिल लाया गया है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने का काम माननीय अनुराग ठाकुर जी ने किया है और एक नया संदेश देने का काम किया है ।

मैं इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगा । जो नया कानून आया है, जिस पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं, प्रकाशकों को पत्रिका के रजिस्ट्रेशन या संशोधन के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को आवेदन करना होगा । पंजीकरण की प्रक्रिया काफी आसानी से केवल एक चरण में पूरी की जाएगी । कानून में पहले यह आठ चरणों में होती थी यानी लालफीताशाही की व्यवस्था का अंत इस कानून के माध्यम से

किया जा रहा है । आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को समाचार पत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशन की अनुमति नहीं देने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है, जो एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है ।

प्रेस रजिस्ट्रार जनरल सभी पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेंगे । छोटे अपराधों के लिए ज्यादातर प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने का भी प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से किया गया है । विधेयक का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाना है । जवाबदेही तय की गई है कि कोई भी पंजीकरण 60 दिनों की अवधि में पूरी की जाएगी । भारत में विदेशी पत्रिकाओं को स्थानीय एडिशन के प्रकाशन के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व मंज़ूरी का प्रावधान किया गया है ताकि कोई भी विदेशी ताकत अपने खतरनाक विचार थोप न सके । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ।

मैं समझता हूँ कि विधेयक में प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और इसके सदस्यों में से भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नामित दो सदस्य शामिल होंगे । यह पहली बार एक मजबूत व्यवस्था की गई है ।

महोदया, अखबार और पत्रिकाएं आज भी घर-घर में जगह बनाये हुए हैं । इंटरनेट के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आने के बाद अखबार और पत्रिकाएं डिजिटल स्वरूप में भी आने लगी हैं ।

माननीय सभापति **:** यादव जी, आपकी बात पूरी हो गई ।

श्री राम कृपाल यादव **:** महोदया, हम सब जानते हैं कि डिजिटल युग में आतंकवाद और अलगाववाद जैसे खतरे तेजी से हमारे सामने आ रहे हैं, जो देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती हैं । मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार ने उन चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला किया है । कोई भी, कहीं से भी अपने खतरनाक विचारों से आग लगा सकता है । आज कोई भी, कहीं से भी डिजिटल पत्रिका निकाल ले रहा है । डिजिटल न्यूज से अफवाह फैलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं ।

माननीय सभापति **:** अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री जुगल किशोर शर्मा जी ।

श्री राम कृपाल यादव **:** महोदया, मुझे एक मिनट का समय दे दिया जाए, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ ।

माननीय सभापति **:** ठीक है । आप अपनी बात पूरी कीजिए ।

श्री राम कृपाल यादव **:** अत: इसका कंट्रोल बहुत जरूरी था और यह इस कानून के माध्यम से किया जाएगा ।

नियमों के दायरे में आने से देश विरोधी तत्त्वों का खात्मा होगा, गलत सूचनाएं फैलाने वालों पर लगाम लगेगी, लेखकों और विचारकों को एक कानूनी ढाँचा मिलेगा । सरकार ने इस बिल के माध्यम से अधिक स्वतंत्रता देने की कोशिश की है । यह लोकतंत्र में हमारे विश्वास को बढ़ाने का काम करेगा ।

मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करते हुए, प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक क्रांतिकारी बिल लाकर प्रेस की स्वतंत्रता को और जो कई प्रकार की कमियाँ थीं, उनको दूर करने का काम किया है ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री जुगल किशोर शर्मा **(जम्मू) :** माननीय सभापति महोदया, प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में अनुराग ठाकुर जी प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए लाये हैं । मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदया, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तभी से ढूँढ-ढूँढकर वे सारे कानून, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाये थे, गरीब और असहाय लोगों को तंग करने के लिए बनाये थे और इसके साथ ही, देशहित में काम करने वाले जो देशभक्त लोग थे, उनको तंग करने के लिए बनाये थे, अब उनको निरस्त करने का समय आया है । इसलिए वे सारे काले कानून एक के बाद एक करके निरस्त हो रहे हैं ।

महोदया, देश के नागरिकों ने यह कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में कल ही इस सदन में पुराने कानूनों को निरस्त कर नये विधेयक लाये गये हैं, उन पर चर्चा हुई और वे पास भी हुए हैं । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल से ही पूरे देश भर में एक बड़ी चर्चा हो रही है, विशेष तौर पर देश की महिलाओं, बच्चों, असहाय लोगों, गरीब लोगों और हमारे दिव्यांग भाई-बहनों में एक खुशी का भाव है । उनको लगता है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा । इसमें कोई दोराय नहीं है कि एक के बाद एक ऐसे कानून यहां पारित हो रहे हैं ।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हर तरह की समय अवधि रखी गई है । विशेष तौर पर अब अगर कोई भी नागरिक नया पत्र या पत्रिका निकालना चाहता है, तो उसे अधिकारियों के यहां चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वह आराम से घर बैठे ही इसे ऑनलाइन कर सकता है ।

हमारे पास कई लोग आते थे, वे कहते थे कि हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है । हमें अपना कोई पत्र दीजिए, हमारी सिफारिश कीजिए, लेकिन अब देश के नागरिकों को इस सबसे भी निजात मिलेगी ।

सभापति महोदया, मैं सदन का ज्यादा समय ने लेते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये कानून, जो आज बदले जा रहे हैं, ये पहले भी बदले जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस की नीयत सही नहीं थी । न ही वह गरीब जनता की चिंता करती थी, न दिव्यांगों की, न महिलाओं की, न बच्चों की और न ही देशभक्तों की । इसीलिए, उन पुराने कानूनों के माध्यम से ही सरकारें चलती रहीं और गरीब पिसता रहा । सभापति महोदया, आज श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सरकार ने वे सारे कानून निरस्त किए हैं, जिनसे नुकसान होता था, लोगों को तय किया जाता था । मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानूनों से, जिनका लाभ आज जनता को मिल रहा है, वे सारे कानून अब पास हो रहे हैं । मोदी सरकार द्वारा ये जो कानून लाए गए हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लाए गए ? ?प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रिकरण विधेयक, 2023? पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

धन्यवाद ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल **(हमीरपुर) :** माननीय सभापति महोदय, आज मैं सरकार द्वारा पेश किए गए The Press and Registration of Periodicals Bill, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदया, देश आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा है । देश के आजाद होने के बाद अब 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आजादी से 80 साल पहले प्रेस के लिए जो कानून बना था, वह कानून आज तक चल रहा है । अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के हिसाब से वह कानून बनाया था । आजादी की लड़ाई में प्रेस के हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है । उस जमाने के पत्रकारों ने कैसे समाचार पत्र छापने शुरू किए? साइक्लोस्टाइल से

न्यूज बनाई, गांव-गांव उनको भिजवाने का काम किया । निश्चित रूप से देश की आजादी में उनका बहुत महत्व है । उस जमाने में ज्यादातर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे । इस कानून के आधार पर हमारे बहुत से उन समरवीरों को जेल की प्रताड़ना दी गई और हमको आजादी से वंचित रखने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया । देश के कोने-कोने में पता ही नहीं चलता था कि कहां, क्या हो रहा है? उस जमाने में पत्रकारिता के क्षेत्र में यह काम हुआ । इन बिल्स के माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी पूरे देश में, जगह-जगह जो परिवर्तन ला रहे हैं, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं । हमारे माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमारे मीडिया के लोगों को कैसे सुविधा मिले और कैसे स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ वे लोग काम कर पाएं, उसके लिए यह बिल सरकार लेकर आई है । पहले आठ विंडोज में जाना पड़ता था और अपने समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भटकना पड़ता था । इसमें महीनों का समय लगता था । अब सीधे एक विंडो पर जाकर लोग किसी भी समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं । बड़ा सरल कानून बनाया जा रहा है, अच्छी तरह से बनाया जा रहा है । पहले छोटी-छोटी गलतियों में पत्रकारों को सालों की जेल हो जाती थी, उन्हें छ:-छ: महीनों तक जेल में रहना पड़ता था । अब छोटी-मोटी कमियों को नजरंदाज करने का काम किया गया । सभापति महोदया, आपने मुझे समय की मर्यादा दी है । हमारे पूर्व के वक्ताओं द्वारा लगभग सभी विषय आ चुके हैं । मैं थोड़ी सी बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूं ।

महोदया, हमारा कांग्रेस का जो विपक्ष है, इन्होंने देश आजाद होने के बाद मीडिया को अपना एक अस्त्र बनाकर रखा और केवल उन समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों को बढ़ावा देने का काम किया, जो उनके अनुसार काम करते थे । जो अच्छी निष्ठा के साथ पत्रकारिता करना चाहते थे, उनके सामने अनेकों कठिनाईयाँ आयीं । समय-समय पर उनको बहुत दिक्कतें हुईं । हमारे बड़े-बड़े अच्छे पत्रकार लोगों को पत्रकारिता से अलग हटना पड़ा । आपने देखा कि इमरजेंसी के दौरान जब देश सच्चाई जानना चाहता था कि देश किस स्थिति में है, उस समय कांग्रेस की सरकार ने सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया के लोगों को, जितनी भी हमारी प्रेस थीं, सभी को बंद करने का काम किया, जेलों में ठूँसने का काम किया । इस समय जो हम सभी लोग इधर बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के भी बहुत वरिष्ठ लोग इमरजेंसी में 19-19 महीने, 20-20 महीने जेलों में रहकर आए हैं ।

महोदया, पहले पत्रकारिता का काम लोग सकारात्मकता से करते थे । वे पत्रकारिता के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम करते थे । आज भी ऐसे हमारे बहुत पत्रकार बन्धु हैं, चाहे प्रिन्ट मीडिया में हों, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हों, वे अच्छा काम करते हैं ।

माननीय सभापति **:** अब आप बैठ जाइए ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल **:** महोदया, मैं आपसे दो मिनट का समय चाहूँगा । बहुत आवश्यक है कि हमारे मीडिया में जो लोग अभी हैं, वर्तमान में कुछ गिरावट भी आने का काम हुआ है, उस वजह से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी छवि धूमिल हो रही है । जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, समाचार चैनल हैं, उनकी भी छवि धूमिल हो रही है । इससे स्वयं मीडिया जगत के लोग बहुत परेशान और आहत हैं । वे इस बात से आहत है कि जो हाईस्कूल, इंटर फेल लोग हैं, आजकल वे भी यूट्यूब चैनल बनाकर, मीडिया की आईडी लेकर जगह-जगह ऑफिसेज में जाकर, अच्छा काम करने वालों के यहाँ जाकर, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं यह सदन के रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ, इस तरह के लोग सच्ची पत्रकारिता करने वाले लोगों को आहत करने का काम कर रहे हैं । वे आईडी लेकर विभागों में वसूली करने का काम करते हैं ।

माननीय सभापति **:** आपकी बात हो गई है ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल **:** जो अच्छे काम हो रहे हैं, वे उनको रोकने का काम करते हैं । आप देखें कि आजकल युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों की सेवा कर रही है, संस्कृति को लेकर काम कर रही है, लोग अपने माता-पिता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन छोटे-छोटे समाचार पत्रों में ऐसे लिखा जाता है, जैसे देश में कोई अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहा है । ऐसा लिखा जाता है कि हमारे यहाँ मातृ शक्ति का सम्मान नहीं है । 90-95 परसेंट हमारे देश का नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, हमारे हिन्दुस्तान के परिवार पूरी दुनिया के सबसे सशक्त और मजबूत परिवार हैं । केवल मीडिया में जो कुछ ऐसे लोग, तथाकथित पत्रकार आ गए हैं, उन्होंने परसेप्शन बदलने की कोशिश की है । ऐसे लोग दुनिया में भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं ।

माननीय सभापति **:** आपका भाषण हो गया है । अब आप बैठ जाइए ।

माननीय मंत्री जी ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल **:** महोदया, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है । जो मीडिया ट्रायल करने लगे हैं, आप देखते हैं कि कोई भी छोटा सा केस होता है, मीडिया ट्रायल करते हैं और सच्चाई से गुमराह करने का काम करते हैं । हमारे जितने देशवासी हैं, उनको इस बात को लेकर कई बार अनेकों प्रकार की दिक्कतें आती हैं ।

माननीय सभापति **:** अब मंत्री जी को बोलने दीजिए ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल **:** महोदया, अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ । आज यह बिल माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं, मीडिया के लोगों को सुविधा हो, अच्छे लोग आगे आएं, राष्ट्रवादी विचारधारा से निष्पक्षता से पत्रकारिता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का केवल यही उद्देश्य है और भारत माता परम वैभव पर पहुँचे, दुनिया का सिरमौर भारत बने, इसी के लिए यह बिल आया है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ । बार-बार प्रधानमंत्री जी का और अपने अनुराग ठाकुर जी का मैं आभार प्रकट करके अपनी बात पूरी करता हूँ । जय हिन्द, जय भारत ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** आदरणीय सभापति जी, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 पर आज माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी, के.जी.माधव जी, राहुल शेवाले जी, महताब जी, इम्तियाज जलील जी, गणेश सिंह जी, रमेश बिधूड़ी जी, बिद्युत बरन महतो जी, राम कृपाल यादव जी, जुगल किशोर जी और पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी, सुझाव दिए । एकाध ने कटाक्ष भी किया होगा । मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ । यह विधेयक क्या करने वाला है? यह कोलोनियल माइंडसेट और क्रिमनैलिटी से छुटकारा दिलाने वाला है और डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग आपको देना वाला है । यानी कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी, उस समय के बने कानून से मुक्ति मिलेगी और जो छोटी-छोटी गलतियों पर भी जेल जाने का डर रहता था या जेल में डाल दिया जाता था, अब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि अब वह डर भी चला गया और छोटी गलती पर जेल नहीं जाना पड़ेगा । यह इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है । उस समय के कानून के हिसाब से दबाने का काम किया जाता था, अब आगे बढ़ाने का काम किया जाता है ।

सभापति महोदया, उस समय अंकुश लगाए जाते थे, लेकिन अब अवसर देने का काम किया जा रहा है । एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है । विकसित भारत वर्ष 2047 तक बने, यह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है और जन भागीदारी से इसे जन आंदोलन बनाने का एक प्रयास किया है । उसी दिशा में मोदी सरकार का मानना है कि लोकतंत्र में मीडिया का एक बहुत अहम रोल है । मीडिया स्वतंत्र भी

रहना चाहिए और उसे अवसर भी मिलना चाहिए । मीडिया को दबाने का कोई काम नहीं करना चाहिए । जब इन्हें दबाने का काम, कुचलने का काम अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस के जमाने तक किया गया, तब भी कोई खड़ा हुआ था, तो उस समय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े थे । इनकी पूर्व की वर्ष 2004 से 2014 तक की सरकार में भी एक प्रयास किया गया था कि जो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफार्म्स हैं, उनके माध्यम से भी इन्हें दबाने का प्रयास किया गया । जब इसके खिलाफ जनता खड़ी हुई और हम लोग विपक्ष में खड़े हुए तब वे लोग पीछे हटे । मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह जो पीआरबी एक्ट है, यह वर्ष 1867 का है । अंग्रेज चले गए और अपनी सोच छोड़ गए । यानी कि वर्ष 1867 में जो हुआ था, वह एक सोच थी कि स्वतंत्रता से जुड़े लोग अपना समाचार पत्र शुरू न कर सकें । अपना समाचार पत्र शुरू करने के लिए डीएम के पास जाना पड़ता था, इसलिए उसमें जेल की सजा भी रखी गई थी । आज आजाद भारत में चक्कर काटने का काम नहीं, केवल बटन दबाकर डिजिटल इंडिया के प्रयोग से आगे बढ़ाने का काम होता है । समाचार पत्र शुरू करने के आठ स्टेप्स थे । पहले डीएम के पास जाओ और टाइटल वेरीफिकेशन कराओ । डीएम के पास तो 36 तरह के काम होते हैं, उसके पास कहां इतना समय होता था? कई महीने बाद वहां से क्लीयर होने के बाद आरएनआई का नम्बर आता था । फिर वह टाइटल की वेरीफिकेशन करता था । वह फिर रजिस्ट्रेशन के लिए वापस नीचे भेजा जाता था । ऐसे आठ पहलू थे । अब आठ नहीं केवल एक ही बार और आपको डीएम के पास नहीं, आपको आरएनआई के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है और डीएम को उसकी कॉपी करनी है । यदि साठ दिनों में डीएम ने जवाब नहीं दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साठ दिन बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, टाइटल मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यह मोदी सरकार ने करके दिया है । जलील साहब, आपने 24 साल पत्रकारिता तो की, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कितनी बार अखबार या पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए होंगे । यदि आप गए होंगे तो कई साल इंतजार करना पड़ा होगा । आप एक नया समाचार पत्र या पत्रिका निकालिए, दो महीने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, यह मोदी सरकार की गारंटी है । मुझे यह समझ नहीं आता कि ये किस दुनिया में और कौन वे लोग हैं, जो इस बिल की आलोचना करते हैं । ये शायद कांग्रेस के वे समर्थक हैं जिनको दफ्तरों के चक्कर लगवाने में आनंद आता था । जिनको इंस्पेक्टर राज में आनंद आता था ।

सभापति जी, एक प्रयास वर्ष 2011 में भी किया गया । वर्ष 1867 का जो बिल था, उसी की तर्ज पर वह बिल लाया गया यानी कि अंग्रेजों की सोच थी, वही सोच कांग्रेस लेकर चली थी । वही गुलामी की मानसिकता से वे बाहर निकल ही नहीं पाए । वे भी डीएम के माध्यम से सजा देने के पक्ष में ही थे । वे एक कदम और आगे बढ़ गए थे कि यदि कोई कालेज, यूनिविर्सिटी में अपना जनरल भी निकालता है तो उसकी अनुमति भी वर्ष 2011 के बिल हिसाब से लेनी पड़ती, लेकिन आज वह नहीं करना पड़ेगा । आपने एक बुक की बात कही, उसके लिए मैं कह दूं कि उस समय बुक को भी इसके अधीन लिया गया था । चूंकि यह एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, हमने इसमें से उसे निकाल दिया है और उन्हें बुक छपवाने के लिए परमिशन लेने के लिए वहीं जाना पड़ेगा और यह केवल समाचार पत्र और पत्रियों तक ही सीमित किया है । इसे स्मार्ट, सिम्पल और साइमलटेनियस किया है और यह सरल भी है, सामांतर भी है, इसे हमारी सरकार ने करके भी दिया है ।

महोदया, दूसरा उसमें रेड टेपिज्म को बढ़ावा मिलता था । बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे । हमने मोदी सरकार के ध्येय मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सीमम गवर्नेंस के माध्यम से उसे बल दिया है । वर्ष 2011 में यूपीए सरकार का जो बिल था, उसमें माइनर ऑफेंस करने पर भी जेल का प्रावधान था, लेकिन हमने उसमें से पांच के पांच प्रावधान निकाल दिए और केवल एक रखा है और वह यह है कि यदि आपने बगैर अनुमति के समाचार पत्र या पत्रिका शुरू कर दी । उसमें भी हमने छ: महीने का समय दिया है । हम उन्हें नोटिस देंगे कि आप इसे बंद कर दीजिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी । छ: महीने के बाद भी अगर वह बंद नहीं करता है, तब तो क्या उसे बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?

इसमें मैं एक बात और कहता हूं ।? (व्यवधान) इसमें कहा गया है कि कोई गैर-कानूनी कार्रवाई में शामिल होगा या आतंकवादी कार्रवाई में शामिल होगा तो उसको समाचार-पत्र या पत्रिका चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

जलील साहब, आपका विरोध क्यों है? ईम्तयाज़ भाई, इसमें मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादी गतिविधियों और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल है, उसको अख़बार नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उसको जेल में चक्की पीसना चाहिए, क्योंकि उसे अख़बार चलाने का अधिकार ही नहीं है ।

पहले यह था कि आपको बार-बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाकर डिक्लेरेशन फाइल करनी होती थी । हमने वह प्रावधान भी खत्म कर दिया । अब आप ऑनलाइन माध्यम से उसको अपना डिक्लेरेशन भेज दीजिए और आप आरएनआई के सामने भी ऐसा कीजिए ।

माननीय सभापति जी, कांग्रेस के पास न तो दिल था और वर्ष 2011 के उनके बिल में भी कमियां थीं । उसमें 57 क्लॉज़ थे, इसमें मात्र 22 क्लॉज़ हैं । हमने इसको सिम्प्लीफाई किया है, स्मार्ट बनाया है, ताकि ऑनलाइन एप्लीकेशन जाए और आपको इसके लिए दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े, हमने उससे बचाया है । अब आपको प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए भी बार-बार डी.एम. के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको बस ऑनलाइन इंटिमेशन देनी है, आपको इसके लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है । आपको केवल ऑनलाइन इंटिमेशन देनी है, नहीं तो पहले डी.सी. और डी.एम. ही आपको चक्कर कटवाते रहते थे । कांग्रेस के समय काम था - अटकाना, लटकाना, और भटकाना और कई बार अगर राहुल गांधी का बस चले तो फाड़ भी देना । उन्होंने अपनी सरकार में ऑर्डिनैंस फाड़ने का काम किया था । वे वर्ष 2004 से 2014 तक इतने सालों तक रहे और ये बिल ही नहीं ला पाए । यह तो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता थी कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आएं, वे धक्के न खाएं, उन्हें अवसर मिले और वह अवसर देने के लिए बिल हमारी सरकार लेकर आई है, ताकि उन्हें कहीं धक्के न खाने पड़ें ।

ईमत्याज़ जलील साहब, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए । आप जो दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि वे कहते हैं कि धक्के खाने पड़ेंगे, तो यहां तो हमलोग उन्हें अवसर देने का काम कर रहे हैं ।

दूसरी बात मैं यह जरूर कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का काम हमारी सरकार ने किया है । ऐसे एक नहीं अनेक काम हैं, जैसे अगर मैं भारत नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक की बात करूं, तो पिछले दिन ही देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह तीन-तीन बिल्स लेकर आए, जिन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी, इन सबको साइड में करके नए भारत के नए कानून लाने का काम किया है । यह विकसित भारत बनाने की दिशा में बहुत सहयोग करेगा ।

मैं आप सबके सामने, सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि यह जो सीआरपीसी था, इसका नाम ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था । उसमें ही यह दिखता था कि आपको पहले ही वे क्रिमिनल मानते थे । अंग्रेजों की ऐसी मानसिकता तो हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार की वैसी मानसिकता नहीं है । मोदी सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की, नागरिकों को सुरक्षा देने की बात की । यही बड़े सोच का अन्तर है । यह केवल सोच का ही अन्तर नहीं, बल्कि सुविधाएं देने और अच्छे कानून देने का भी अन्तर है ।

पी. पी. चौधरी साहब एक बड़े वकील हैं । उन्होंने ठीक कहा कि पीनल कोड का कानून भी उसी दिशा में है । उसमें भी न्याय दिलाने की बात कही गयी है, दंड देने की बात नहीं की गयी है । अगर गृह मंत्रालय ने वह बिल लाया है, तो उसमें भी दंड से दूर हटकर न्याय दिलाने की बात कही गयी है । इसमें भी आपके चक्कर काटने की बजाए आपको अवसर देने की बात कही गयी है ।

महोदया, मैं कुछ दूसरी बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा । पहले बिना परमिशन प्रेस चलाने पर जेल भेजने का प्रावधान था । अब हमने बहुत आसान कर दिया है कि प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर्स को इंटिमेशन देना है । उन्हें इसके लिए छ: महीने का समय दिया जाएगा । अगर उसमें वे नहीं करेंगे तो जेल जाने का काम होगा ।

महोदया, हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस को बढ़ावा देने का काम किया है । उसमें भी मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा । इसमें एंटरप्रेन्योर ज्यादा बढ़ेंगे, उद्यमियों को ज्यादा बल मिलेगा । न्यूज़पेपर चालू करने के लिए पीआरबी के जो आठ स्टेप्स थे, उनको एक कर दिया है और ऑनलाइन कर दिया गया है । यही नहीं, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए हमने इसको और अवसर देने का काम किया है । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आरएनए के पास इसके लिए ऑनलाइन सुविधाएं देने का काम किया है । ऐसे ही जिस प्रक्रिया में पहले दो से तीन साल लग जाते थे, अब केवल दो से तीन महीनों का समय ही रह जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा । अगर मैं अपनी ही सरकार की बात करूं तो लगभग 39,000 कंप्लायंस का बर्डन कम किया है, जो 63,000 हज़ार हुआ करता था । इसी तरह से 3400 ऐसे लीगल प्रोविज़ंस, जिनमें जेल जाने का प्रावधान था, उनको भी डीक्रिमिनलाइज़ करने का काम देश में किसी एक सरकार ने आज तक किया है तो उसका नाम मोदी सरकार है । 1500 कानूनों को रिपील करने का काम भी किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ही किया है । हम लोग चार नए लेबर कोड्स भी ले कर आए तो वहीं पर ऐसा जन विश्वास विधेयक भी ले कर आए कि कैसे लोगों को उसमें अवसर मिल पाएं । पी.पी. चौधरी जी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने भी उसमें एक भूमिका निभाई ।

महोदया, यहां पर कुछ माननीय सांसदों ने प्रेस फ्रीडम की बात कही है । मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अंग्रेज़ों के समय प्रेस फ्रीडम थी? नहीं थी । गुलामी के समय तो नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी सन् 1975 में देश ने जो देखा, वह आज की पीढ़ी को याद नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करवाना चाहता हूँ कि उस समय अधिकतर पत्रकार और पत्रिका समूह के मालिक समाचार पत्र नहीं चला रहे थे, बल्कि जेलों में बंद पड़े थे तथा यह किसी और ने नहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कहने पर किया गया जो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ । यह कुचलने का काम इन्होंने किया था, दबाने का काम किया था । हम आज के बिल के माध्यम से नए लोगों को अवसर दे रहे हैं कि आप आइए, केवल ऑनलाइन एप्लिकेशन कीजिए, अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको न अनुराग ठाकुर के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे और न किसी और दफ्तर के काटने पड़ेंगे । आप केवल अपने घर पर बैठ कर ऑनलाइन एप्लिकेशन कर दीजिए और दो महीने के बाद आपका सर्टिफिकेट, टाइटल वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन हो कर आपके पास देने का काम किया जाएगा । मोदी जी की यह गांरटी हमने इस कानून के माध्यम से कर दी है ।

महोदया, इसके माध्यम से मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ । आज तक कुल मिला कर, 1,66,047 टाइटल वेरिफाई हुए हैं । साथ ही, आज तक जो पब्लिकेशन रजिस्टर हुई हैं, वे 1,39,907 है, यानी कि लगभग डेढ़ लाख के करीब पब्लिकेशंस हैं । इसके साथ ही, टाइटल वेरिफिकेशन की मंथली एवरेज़ की बात जो है, अगर मैं पिछले चार महीनों की बात करूं तो 314 टाइटल हम वेरिफाई कर रहे हैं । प्रति महीने रजिस्ट्रेशन सर्टिफेट 210 मिल रहे हैं । देश में डीफंक्ड पब्लिकेशंस कितनी हैं, जिन्होंने टाइटल तो लिया है, अखबार का लाइसेंस तो लिया है, लेकिन चलते नहीं हैं और न ही ये अपने सालाना पेपर्स फाइल करते हैं, उनकी संख्या 1,04,402 है । पब्लिकेशंस रीएक्टिवेटिड, जो डीएम के आदेशों के बाद होती हैं, उनकी संख्या 1128 है । पब्लिकेशन जो कैंसल की गई हैं, वे लगभग 136 हैं । सभापति महोदया, यह डेटा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे सांसदों के मन में था कि कितनी अखबारें और पत्रिकाएं चलती हैं ।

महोदया, एक सवाल बीच में यह आया था कि अगर कोई विदेशी पत्रिका आती है और उसका एडिशन भारत में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा । मैं इसमें यह बताना चाहता हूँ कि उसके प्रकाशन से पहले भारत सरकार की अनुमति चाहिए और वह लेंगे तो आपको उसकी परमिशन मिल जाएगी । इम्तियाज़ जी ने कहा कि स्थानीय भाषाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ।

सभापति जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आजादी के बाद इस सरकार में पहली बार शायद यह हुआ होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्थानीय भाषाओं को अगर किसी ने महत्व दिया है तो वह मोदी सरकार ने दिया है । मोदी सरकार की गारंटी पर ही आज मेडिकल शिक्षा से लेकर इंजीनियरिंग शिक्षा तक देश के अलग-अलग राज्यों ने शुरू कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों के उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं । अगर कुछ लोगों को आलोचना ही करनी है तो वे करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ।

15.51 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि अगर कोई अधिक बार जुर्म करें तो आप क्या करने वाले हैं । अगर हम फाइनैंशियल पेनाल्टी की बात करें तो इस विधेयक के माध्यम से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को किसी भी पब्लिकेशन के ऊपर न्यायोचित कार्रवाई करते हुए, पाँच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है । सबसे पहले 10 हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है । यदि वह बार-बार डिफॉल्ट करें तो लगभग 2 लाख रुपये उस पर जुर्माना लगेगा और एक्स्ट्रीम केस में जाकर पाँच लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । ऐसे पाँच-छह दंड देने वाले प्रावधान थे, जिसमें जेल जाने का भी प्रावधान था । उसको हमने हटा दिया है और इसमें केवल एक में ही रखा गया है । अगर कोई पब्लिकेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन दे, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगा । अगर वह अपने लाइसेंस और कोई अहम जानकारी या तथ्य छुपाता है, यानि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है और तथ्य भी छुपाता है तो प्रेस रजिस्ट्रार ऐसे समाचार पत्र व पत्रिकाओं के ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार रखता है ।

इसमें एक और प्रश्न पूछा गया कि उसने डेली न्यूजपेपर का लाइसेंस लिया है, अगर वह 50 परसेंट से कम दिन पेपर पब्लिश करता है तो उसको बंद करने का इसमें प्रावधान है । उसको नोटिस भी दिया जाएगा । अगर वह रोज नहीं छापता है तो उसको बंद कर दिया जाएगा । इसी तरह से आपने कहा कि अगर कोई फोर्टनाइट पेपर छापता है, किसी ने कहा कि हम 15 दिन में एक बार अखबार छापेंगे या पत्रिका लाएंगे । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसको भी नोटिस देने के बाद सस्पेंड करने और बाद में कैंसिल करने का प्रावधान किया गया है । अगर पब्लिशर दो साल तक, दो साल बहुत लंबा समय होता है, एनुअल स्टेटमेंट नहीं देता है तो दो साल के बाद भी उसको नोटिस जाता है और उसको सस्पेंड किया जाता है । अगर वह फिर भी ऐसा नहीं करता है तो उसके बाद उसका कैंसिलेशन करने का प्रयास किया जाएगा ।

महोदय, इसमें एक और बात आई थी कि एक नाम से एक राज्य में हो और उसी नाम से कोई मिलता-जुलता दूसरी भाषा में किसी अन्य राज्य में हो, अब एक राज्य में एक नाम से पब्लिकेशन चल रहा है और उसी नाम से दूसरे राज्य में किसी अन्य भाषा में दूसरा पब्लिकेशन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल उनमें से एक पब्लिकेशन को नियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए बंद कर सकता है अथवा उसे दूसरे नाम से पब्लिकेशन छपवाने के लिए कह सकता है ।

महोदय, इसमें और भी प्रश्न आए थे । किसी ने स्मॉल पेपर्स के मशरूम की बात की । मैं कहता हूं कि छोटा हो या बड़ा हो, आज देखिए कि एक छोटा से छोटा समाचार पत्र भी अगर कोई अच्छी खबर छापता है तो डिजिटल

मीडिया के माध्यम से देश भर में बहुत बड़ी खबर बन जाती है । यह अवसर देने वाली सरकार है । यह अंकुश लगाने वाली सरकार नहीं है ।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई सर्कुलेशन फीगर गलत देता है, एनुअल स्टेटमेंट भी गलत देता है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है । यह 30 दिन से लेकर 180 दिन तक होगा, इसके बारे में निशिकांत दुबे जी ने पूछा था । अगर उसको किसी अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है तो वह प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड के पास जा सकता है, जिसमें हमारी प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन उसके अध्यक्ष और दो मेम्बर्स सदस्य होंगे । आपने कहा कि महिला को भी इसका सदस्य होना चाहिए । मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एक रिटायर्ड जज महिला ही हैं । महिला सशक्तिकरण की बात न केवल सरकार करती है, बल्कि करके भी दिखाती है ।

इसी तरह से नारी शक्ति वंदन बिल भी हमारी ही सरकार ने पास किया, जो पहले की सरकारें नहीं कर पाईं । मोदी सरकार ने 33 परसेंट आरक्षण विधान सभा से लेकर लोक सभा तक देने का काम किया । माधव जी ने कहा कि अगर कोई गलती करता है तो आपके पास कोई कानून नहीं है । इम्तियाज़ साहब, आपका भी यही सवाल था तो मैं कहना चाहता हूं कि डिजिटल व्यवस्था बिल्कुल अलग है । हम आईटी एक्ट 2021 के अंदर उसको कवर करते हैं । कोई भी कंटेंट आपका ऑनलाइन पब्लिश होगा तो आईटी रूल्स के अन्तर्गत उसको कवर किया गया है । जहां तक आपने फेक न्यूज की बात कही, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में यह कदम उठा लिया था । फेक न्यूज चेक करने के लिए एक डिवीजन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में बनाया गया है । जैसे ही सरकार से जुड़ी हुई कोई गलत खबर दिखती है, हम उसको वैरीफाई करते हैं और फेक न्यूज का ठप्पा लगाकर ऑनलाइन डाल देते हैं, इसे हमारी सरकार ने किया है ।

मीडिया, समाचार-पत्र चलाने वाले हमारे भाइयों के खिलाफ एट्रोसिटीज़ हों, उनके खिलाफ कोई हमले किए गए हों, राहुल शेवाले जी ने बहुत गम्भीर प्रश्न पूछा है । आज सुबह राज्य सभा में भी इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था । मैं उस हाउस की चर्चा यहां पर नहीं करूंगा । मैं बंगाल की ही बात करता हूं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य को ही हमारे पत्रकार भाइयों-बहनों को सुरक्षा मुहैया करवानी है । गृह मंत्रालय ने 20 अक्टूबर, 2017 को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था । उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री थी, आज हम सबके बीच में वे यहां उपस्थित हैं । उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि जितने पत्रकार हैं, उनको वहां पर सुरक्षित वातावरण देना चाहिए, ताकि उनको लिखने की स्वतंत्रता हो ही, पर सुरक्षित वातावरण भी देना चाहिए । यह एडवाइजरी किसी और ने नहीं, मोदी सरकार में उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री के नाते जारी की । हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी समय-समय पर कहा और प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ने भी सुओमोटो ऐसे केसेज़ को लिया और उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम भी किया । अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जहां चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां जर्नलिस्ट पीटे गए, उनके नील भी पड़ गए, कइयों को गम्भीर इंजरीज़ हो गईं । ? (व्यवधान) सही बात है । अध्यक्ष जी, कुछ पश्चिम बंगाल के सांसद यही कहते हैं । केरल की भी ऐसी कुछ स्थिति है, कुछ और राज्यों की भी ऐसी ही स्थिति है । मैं राज्यवाइज ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि सुरक्षा मुहैया कराना, लॉ एंड आर्डर स्थिति राज्य की जिम्मेदारी है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे । कई लोगों ने तो रेड करा दी, पत्रकारों पर पत्रिकाओं पर फर्जी मुकदमे करा दिए, ऐसा लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए । इसमें देश की छवि भी खराब होती है और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है । मेरा सभी राज्यों से अनुरोध है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाएं, मीडिया के मित्रों को सुविधाएं दें, सुरक्षित वातावरण दें, जैसे मोदी सरकार ने मदद की है । कोविड के समय भी अगर किसी

की मृत्यु हो गई तो 5 लाख रुपये की मदद देने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया और हम आगे भी करेंगे । यह हमारा मीडिया के भाइयों और बहनों के प्रति कर्तव्य है ।

आदरणीय महताब जी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कही, वह एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, समाचार पत्र भी चलाते हैं । केबल टेलीविजन नेटवर्क के अंतर्गत जो चैनल्स हैं, उनके कंटेंट को हमने कवर किया है । जो बाकी ऑनलाइन न्यूज हैं, उनको हमने आईटी रूल्स के अंतर्गत कवर किया है । केबल टेलीविजन नेटवर्क में थ्री टियर लेवल है, एक जो कंटेंट क्रिएट करने वाला है, उसके लेवल पर, नहीं तो बाद में उनकी एसोसिएशन के लेवल पर और तीसरा इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी के नाम पर आता है । सोशल मीडिया की आपने थोड़ी चिंता व्यक्त की है । मैं इतना ही कहूंगा कि यह उभरता हुआ ऐसा क्षेत्र है, जहां कई लोगों चिंता भी व्यक्त की, तो कई लोग यह भी कहते हैं कि इससे बहुत छोटी-छोटी जगह की खबरों को देखने और सुनने का अवसर भी मिल पाया है । बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर भी मिल पाए हैं । बहुत सारे लोग जिनके पास अवसर नहीं थे, उनको पत्रकार बनने का मौका भी मिल पाया है । इस पर दोनों तरह की ही चर्चाएं सामने आती हैं । कभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे । मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमने इसके लिए भी अवसर दिया है कि वह ऑनलाइन इंटीमेट करे कि वे लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं । हम एक और एडवरटाइजमेंट की पॉलिसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल्स के लिए लेकर आए हैं, ताकि उनको भी इसमें अवसर मिल सके ।

16.00 hrs

महताब साहब ने कहा कि बिल में नया फीचर क्या है? मैं इतना ही कहूंगा, अब डीएम और आरएनआई के पास एक ही समय ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, आरएनआई के पास सीधा ऑनलाइन करना है और उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी है । अगर 60 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जवाब नहीं देता है तो उसका वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन हो जाएगा । आपने डि-क्रिमिनलाइजेशन का स्वागत किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं । एनुअल स्टेटमेंट को आपने डिजिटली एक्सेपट करने के लिए कहा, अब किसी को भी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, न सर्टिफिकेट लेने के लिए, न रजिस्ट्रेशन के लिए, न एनुअल स्टेटमेंट देने के लिए । आप अपने घर से ही अपना दफ्तर चलाइए, वहीं से एनुअल स्टेटमेंट दीजिए । अब चक्कर लगाना बंद, इज ऑफ डुइंग बिजनेस चालू हो गया है, यह मोदी सरकार ने करके दिया है ।

आपने कस्टम ड्यूटी की बात कही है, यह मेरे विभाग से ज्यादा वित्त मंत्रालय का विषय है, मैं उनके साथ जरूर इस विषय को उठाऊंगा । रमेश बिधुड़ी जी ने कुछ सुझाव दिए, महतो साहब ने कुछ सुझाव दिए, मैं इसे सुझाव के रूप में ले रहा हूं । गणेश जी ने भी कुछ सुझाव दिए । गणेश जी ने कॉलेज के न्यूज लेटर के बारे में कहा । वर्ष 2011 के यूपीए का बिल अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गया था । कॉलेजों में जरनल निकालने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए होती थी, इस तरह के प्रावधान किए गए थे । लेकिन हमने उससे भी मुक्ति दिला दी है । इसमें इस तरह की कोई परमिशन कॉलेज को नहीं लेनी पड़ेगी । इम्तियाज साहब ने कुछ बातें कहीं, इसमें इन्होंने कहा कि कोई अगर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है, आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है ।

मैं बड़ी गंभीरता के साथ, मोदी सरकार के एक मंत्री के नाते और इस सदन का सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर 75 साल में सबसे ज्यादा कभी मिली है तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में मिली है, मोदी सरकार में उसकी गारंटी हुई है ।

अध्यक्ष जी, मैं गर्व और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर 75 साल में किसी सरकार के समय सबसे ज्यादा है तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है । आप पिछले दस सालों का रिकार्ड देखिए । हमने एक भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है, उल्टे ऑनलाइन के अवसर दिए हैं । यह कानून सिंपल, स्मार्ट और साइमलटेनियस प्रोसेस है । इम्तियाज़ साहब ने कहा कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं । मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं, यह बात बिल्कुल निराधार है । आपको सरकार की जितनी आलोचना करनी है, आप कर सकते हैं । एक व्यक्ति के रूप में, एक संसद सदस्य के रूप में और एक पत्रकार के रूप में आलोचना कर सकते हैं । हमने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है । लेकिन अगर कोई देश को तोड़ने का विचार रखता है, टुकड़े-टुकड़े करने की सोच रखता है या ऐसे व्यवधान खड़ा करने का काम करता है तो कानून को जो काम करना है, वह अपने आप करता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है ।

दूसरा, आपने कहा कि कोविड में कितने लोग मरे, आपने कहा लोग नहीं, खराब परिस्थितियां थीं, आप रिकार्ड उठाकर देखते तो आज मुझे नहीं कहना पड़ता । दुनिया के बड़े-बड़े समाचार पत्र लिखते थे, गलत धारणाएं पैदा करते थे कि भारत में करोड़ों लोग मरेंगे, महामारी से ज्यादा भुखमरी से मरेंगे ।

मैं आज पूरे अधिकार के साथ कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में कोविड प्रबंधन के लिए किसी देश की तारीफ की गई है तो भारत और भारत के नेतृत्व की गई है । हमने लोगों को महामारी से भी बचाया और भुखमरी से भी बचाया । अगर किसी देश में 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त लगी तो भारत में मोदी सरकार के नेतृत्व में लगी । उसमें जाति, धर्म और सम्प्रदाय नहीं देखा गया । आप उसे सम्प्रदाय के नाम पर ले गए, आप मजहब के नाम पर ले गए, मुझे यह सुनकर बहुत पीड़ा हुई । हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास सोचा जाता है । हमने यह कभी नहीं कहा, आप कोई एक इंसीडेंट बताइए । चार करोड़ पक्के मकान मिले, बारह करोड़ शौचालय बने, दस करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, तेरह करोड़ लोगों के हर घ को नल से जल मिला, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है । अगले पांच साल की गारंटी, मोदी जी की गारंटी का वायदा है । इसमें किसी की जाति, सम्प्रदाय को नहीं देखा गया । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने ?सबका साथ, सबका विकास? के साथ काम किया । आप बिल्कुल इसमें न जाइए । ? (व्यवधान)

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील **(**औरंगाबाद**):** मैंने एक बार भी जाति या धर्म के बारे में नहीं कहा ।? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर **:** आपने कहा है, सर, रिकॉर्ड चैक कराइए । ? (व्यवधान) आपने मज़हबी रूप देने की बात कही है । मैंने कहा कि कोविड के समय भी अगर किसी रिपोर्टर की मृत्यु हुई तो उसे पांच लाख रुपये मदद देने का काम मोदी सरकार के समय में हुआ है । आपने कहा अखबारों को जिंदा रखना चाहिए । मैंने कहा कि बढ़ाने का काम किया है । हम रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन कर रहे हैं । आपने कहा कि 1120 रुपये का सिलेंडर है । आप गलत कह रहे हैं । उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1120 रुपये का नहीं, बल्कि 630 रुपये का सिलेंडर मिलता है और यह मोदी जी की गारंटी के कारण मिलता है जबकि बाकी लोगों को 920 रुपये में मिलता है ।

डिजिटल मीडिया के बारे में मैंने कह दिया है । आपके कुछ और भी प्रश्न थे । आपने मज़हब की बात कही, मैंने उसका भी उत्तर दे दिया है । ? (व्यवधान)

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील **:** मैंने एक बार भी नहीं कहा ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** डिबेट मत कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** मैं इतना ही कहूंगा कि यह बिल आखिरकार गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आधुनिकता से लैस, अवसरों से लैस है । प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, 2023 ऐसे अवसर ला रहा है जो एक बार नहीं, अनेकों बार लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में उद्यमी बनने का अवसर देगा ।

महोदय, यह बिल 1867 के बिल को हटाकर सम्पूर्णतया भारतीय बिल है । नए भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो, इस उद्देश्य को लेकर यह बिल लाया गया है ।

मैं आशा करता हूं, जैसे आप सबने इसका समर्थन किया वैसे ही इसे वोट में भी सर्वसहम्मति से पास करेंगे । आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर दिया ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि प्रेस, नियतकालिक पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 22 विधेयक के अंग बने ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 2 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I beg to move:-

?That the Bill be passed.?

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए ।**?**

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

________ **15.11 hrs**